

Haryana Vidhan Sabha

Debates

27th August, 1970

Vol. II—No. 3

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 27th August, 1970

	Page
Supplementaries to Starred Question No. 806	(3)1
Starred Questions and Answers	(3)8
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	(3)41
Unstarred Question and Answer	(3)115
Call Attention Notices	(3)115
(i) The Revenue Minister (Shri Neki Ram).	(3)117
(ii) The Transport Minister (Shri Mahabir Singh)	(3)118
Third Report of the Business Advisory Committee	(3)119
Question of Privilege	(3)120

Papers laid on the Table	(3)12 I
Bill(s)-	
Haryana Appropriation (No. 3)—, 1970	(3)1121
Personal Explanations by-	
(i) Home Minister, Shri Kanihya Lal Poswal	(3)135
(ii) Industries Minister, Shri Abdul Ghaffar Khan	(3)135
(iii) Food and Supplies Minister, Shri Rajinder Singh	(3)136
Discussion on Haryana Appropriation (No. 3) —, 1970(Resumption)	(3)137
Walk Out	(3)149
Discussion on Haryana Appropriation (No. 3) —, 1970 (Resumption) (concl'd)	(3)149
The Haryana Appropriation (No. 4)—, 1970	(3)180
The Haryana Appropriation (No. 5) —, 1970	(3)182
Personal Explanation by—	
Rao Birender Singh	(3)183

HARYANA VIDHAN SABHA
Tuesday, the 25th August, 1970

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Chandigarh-1 at 2.00 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker : Hon. Members, Question-Hour please.

(At this stage Shri Mangal Sein rose to put his
Question No. *799)

Mr. Speaker : Please wait. I am to give some information to the House. This question was sent to the Minister concerned on the 10th of July, 1970 and reply is received on the 25th August, i.e. today that this question is not admissible. We have seen the Rules and the question is admissible. So, I request the Minister concerned to give the answer to this question.

Chief Minister : (Shri Bansi Lal) : Sir, I will give a reply on the 28th August, 1970 स्पीकर साहब जो ट्रिब्यून से ताल्लुक रखने वाले सवाल हैं उन को आप 28 तारीख पर रख लें उनका हम उस दिन जवाब दे देंगे ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, पहले भी एक बार मुख्य मंत्री साहब ने इस सदन में कहा था कि फलां तारीख को फलां

बात का जवाब हाउस को दे दिया जाएगा । लेकिन बाद में हमें उस इन्फर्मेशन से डिप्राईव किया गया था । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप मुख्य मंत्री साहब को बाऊड डाऊन कीजिये कि वह 28 तारीख को जरूर जवाब दें ।

Mr. Speaker : That he has said. So, there is no need to bind him. He will certainly give the reply.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, हम नार्मली तो डिसबिलीव नहीं करते और हम हाउस की हर बात को सैकंटीटी अटैच करते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से जमहूरियत के साथ मजाक किया जाता है ? उस को देखते हुए मैंने निवेदन किया था कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को बाईड डाऊन करें । स्पीकर साहब, ट्रिव्यून के बारे में मेरे तीन सवाल हैं, मेरी प्रार्थना है कि इन तीनों का जवाब मुख्य मंत्री साहब 28 तारीख को दे दें ।

श्री बंसी लाल : हमें इस में कोई एतराज नहीं ।

Mr. Speaker : Yes, he will give the answer on the 28th August. My suggestion was that if we send a question to an hon. Minister and if he finds that there is something wrong in it, naturally he can refer it back any time, but that must be done immediately and not after a gap of a month and a week because after all it is a very important privilege of the hon. Members and they get this chance only twice in a year.

Shri Mangal Sein : Only for a few days, Sir. Rather

for a couple of days, Sir.

Mr. Speaker : This is rather unfair and I wish that we had received a reply when the question ;was sent a month and half ago. But this has been received today.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को सरकार का जो जवाब आये, हो सकता है कि उस के बारे में आप भी सहमत हों कि जवाब तकली- बख्श नहीं है । ऐसे हालात में सदन के मैम्बरों को अधिकार है कि वे उस पर आधा घंटा या दो घंटे की डिसकशन मांग सकते हैं । 28 को सैशन खत्म हो जाएगा इस लिये हमें उस आधे घंटे को व दो घण्टे की डिसकशन से डिप्राईव करने की कोशिश है वरना मुख्य मंत्री साहब हाउस को आज भी जवाब दे सकते हैं । आप इस बात का आश्वासन दें कि आधा घंटा डिसकशन मांगने के लिये जो नोटिस देने के लिये समय की जरूरत होती है वह कंडोन कर दी जाएगी, और आप यह एतराज नहीं उठायेगे ।

Mr. Speaker : I think we should not presume things. After all an assurance has been given and I expect from the Leader of the House that he will give you a very satisfactory answer. In case it is not there, then you can raise this question and we can on that very day consider of having half-an-hour discussion on it.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि मैंने आधे घंटे के लिये डिसकशन के लिये नोटिस टेबल कर दिया

हुआ है इस लिये आप से रिक्वेस्ट है कि उस को इन टाईम समझ लिया जाए ।

श्री बंसी लाल : हर चीज कायदे के मुताबिक और मौके पर होनी चाहिये आप पहले ही कैसे सब कुछ प्रीज्यूम कर रहे हैं ।

Government or Nazool Land in Village Mansoorpur

***804. Chaudhri Chand Ram** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any Government or Nazool land in village Mansoorpur, P. S. Radaur in Thanesar Tehsil of Karnal District, is under cultivation by Chambela and Ratia Harijans of the same village ;

(b) whether the said land was mortgaged with anybody, and if so, the names of such persons and date on which it was mortgaged ; and

whether the Government is prepared to transfer the said land to the two Harijans mentioned above under the Pepsu Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956 as applicable to Haryana, if not, the reasons thereof ?

राजस्व मंत्री (श्री नेकी राम) : (ए) जी हां ।

(बी) जी हां, इस जमीन को 22- 11- 1905 से पहले जमीन के मालिको ने स्वयं श्री किशन चन्द पुत्र बिशम्बर दास अथवा श्रीमती रुरी ग्राम रादौर, तहसील थानेसर, के पास रहन रखा था ।

(सी) यह जमीन 22-11- 1905 से पहले रहन रखी गई थी । क्योंकि अब 60 वर्ष की अवधि बीत चुकी है इसलिए यह रहनदारो की मलकियत हो गई है और सरकार की मलकियत नहीं है । इसलिए पैप्सू नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्ज 1956 के अधीन उपरोक्त दोनों हरिजनों सर्वश्री चमेला और रतिया को अलाट नहीं की जा सकती ।

Chaudhri Chand Ram : Mr. Speaker, Sir, in part (a) of the question, I had asked—

"whether any Government or Nazool Land in village Mansoorpur, P. S. Radaur in Thanesar Tehsil of Karnal District, is under cultivation

by Chambela and Ratia Harijans of the same village."

और स्पीकर साहब, इसके उत्तर में इन्होंने जवाब दिय है 'जी हां' लेकिन पार्ट (सी) के जवाब में कहा हूँ कि चूंकि 60 साल से ऊपर जमीन को रहन किए हुए हो चुका इस वह गवर्नमेट की मलकियत नहीं रही । मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमैट की मलकियत नहीं रही तो वह कौन सी जमीन है जो वे काश्त करते हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : स्पीकर साहब, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस सवाल पर सप्तीमैट्री पूछने की इजाजत

न दी जाए क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी इण्डीविजुअल का केस हाउस में डिसकस नहीं होना चाहिये, यह केस एक व्यक्ति के साथ ताल्लुक रखता हूँ ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, पब्लिक की प्रापरटी का सवाल है, 1 905 में वह जमीन रहन की गई थी, इस लिये अगर गवर्नमैट की प्रापरटी का इतनी देर तक अफसर ख्याल नहीं करते तो उस के लिये यहां पर सवाल क्यों न पूछा जाए?

श्री बंसी लाल: इस के लिये, स्पीकर साहब, सिवल कोर्ट में जाने की रैमिडी है, यहां हाउस में किसी व्यक्ति के लिये इस तरह से सवाल नहीं पूछा जा सकता ।

श्रीमती चन्द्रावती : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहब, सवाल आप ने एडमिट कर दिया, उस पर अगर चीफ मिनिस्टर साहब यह कहें कि सप्लीमैट्री सवाल नहीं पूछा जा सकता तो मैं समझती हूँ कि यह एक तो हाउस के अधिकार छीनने की बात हूँ और दूसरे चेयर पर भी एक तरह का एस्पर्शन है । इस तरह की बात अगर मुख्य मंत्री साहब की तरफ से की जाती है तो वह उचित नहीं है ।

Mr. Speaker : Actually, I was about to mention this. I wish the Minister concerned had pointed out this thing in the very beginning that they would not like to answer this question. Then I would have certainly considered it because we do not want to do anything which is against the Rules.

What actually I am surprised here is that in the first instance it is said that it belongs to the Government and then next it is said that it is no longer a Government property.

Chaudhri Chand Ram : That is right, Sir.

Shri Bansi Lal : At this stage I would like to submit, Sir, that this question is admitted by the Vidhan Sabha Secretariat. Actually, I very humbly submit that the questions should be thoroughly examined by the Vidhan Sabha Secretariat also.

A voice : It is a reflection on the Vidhan Sabha, Secretariat.

Shri Bansi Lal : This is my humble submission.

In this particular case about 270 bighas of land was there. Some of that land belonged to Government and some of that land is under adverse possession. Now which portion is under adverse possession has to be decided by a civil court.

Mr. Speaker : In other words this matter is in the Court.

Shri Bansi Lal : No. Sir, I cannot say whether it is in the court or not. But the question has been asked in a way by which there may be some evidence to show as to what is the version of the Government.

Mr. Speaker : Would you like to find out whether this case has actually gone to the court or it is yet likely to go ?

Shri Bansi Lal : Anybody can find it.

Mr. Speaker : I wish to assure the House that the questions are thoroughly examined as per our Rules and Regulations before they are admitted. Anyhow, in this case, I am prepared to discuss this matter with the Leader of the House or with anyone else.

मलिक मुख्तियार सिंह : सम्पीकर साहब. आप विधान सभा में एक एस्ट्रालोजर बिठा लो जो कि अंदाजा लगाता रहे कि कौन केस कोर्ट में जाने वाला है । (हंसी)

Mr. Speaker : I wish to assure every honourable member that he can ask supplementary questions again. Let it be first verified whether this case is in court or not.

Shri Bansi Lal : I have already explained the factual position of the case. The hon. Member can refer to 'Khasra Girdawri' which is a public document. In part (a) of the question, it has been asked

"Whether any Government or Nazool Land in village Mansoorpur. P.S. Gadaur in Thanesar Tehsil of Karnal District, is under cultivation by Chambela and Ratia Harijans of the same village.

The answer given is 'yes'. As regards the question of a title of a person to that land is concerned, it is for the court to decide. But, at the same time, according to the Rules of the House, a Question is not admitted, if the information asked for is contained in documents accessible to the public, such as 'Khasra Girdawri' etc.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आया कोई केस अदालत के अधीन है या नहीं है बगैर जानकारी के इस बिना पर किसी सवाल का जवाब देने से इन्कार नहीं होना चाहिये और मैं आप से इस बारे में संरक्षण चाहता हूँ । हां, अगर मन्त्री महोदय या मुख्य मन्त्री महोदय यह कहें कि केस अदालत के अधीन है तब तो जवाब नहीं दिया जा सकता । यह जो सवाल है यह नीति निर्धारण का है कि क्या सरकार किसी सरकारी जमीन को गहने रखने और उसकी मलकियत सरकार से हट जाने की इजाजत देगी । यह सवाल लीगल नहीं है सरकार को नीति निर्धारण का है कि क्या सरकार अपनी मलकियत को इस तरह से जाने देगी ? यह प्रश्न है जिसका जवाब मन्त्री महोदय या मुख्य मन्त्री महोदय से जानना चाहता हु ।

पहले पार्ट के जवाब में इन्होंने माना है कि 'जी हां' यह गवर्नमंट की प्रापटी है और इनके जवाब के मुताबिक आज भी है । तीसरे पार्ट के जवाब में कहते हैं कि गवर्नमैट की प्रापटी नहीं है क्योंकि लिमिटेशन ऐक्ट के अनुसार चूकि 60 साल से ऊपर का पुजैशन हो गया इस लिये अब एडवर्स पुजैशन हो गया और जिनके पास जमीन रहन थी उनकी वह मलकियत हो गई । 'बी' पार्ट के जवाब में कहते हैं कि यह जमीन जो है जमीन के मालिकों ने फलां-फलां के पास रहन रख दी । पहले तो कहते हैं कि जमीन की मालिक सरकार थी तेकिन अब 'बी' में आ कर कह दिया कि जमीन के मालिक और थे । इस तरह से यह

कंट्राडिक्टरी जवाब दिया गया है । एक तरफ तो इस तरह केयरलैसली जवाब देते हैं और फिर लीगल प्वायंट उठाते हैं ।

I have raised the obvious contradictions in the reply given by the Government on the Floor of the House and for this the Chief Minister should have been grateful to me. लेकिन उसकी बजाये हमें यह सरमन दे रहे हैं कि यह लीगल बात है । इसमें तो कोई लीगल बात है नहीं और यह सीधी सी बात है । इसमें मैंने दो तीन बातें पूछी थीं । यह स्टेट प्रापर्टी थी जो 1905 से पहले रहन की गई थी और इस में अब यह सवाल है कि गवर्नमेंट के कनसर्नड अफसर जो भी था या थे उन्होंने परवाह नहीं की कि वह उसे रीटरीव करें और उस रहन को छुड़ाये । इसमें कोई किसी किस्म का लीगल सवाल नहीं था बल्कि इसे रीटरीव करने का सवाल था । इसमें एक सवाल यह था कि अगर यह गवर्नमेंट प्रापर्टी थी और जैसा कि इन्होंने पार्ट 'ए' के जवाब में माना भी है कि गवर्नमेंट प्रापर्टी थी तो जिसके कब्जा में वह थी उसे ऐक्ट के मुताबिक क्यों ट्रांसफर नहीं की गई । लेकिन यह इस का यह जवाब देते हैं कि वह सरकार की मालकियत नहीं रही क्योंकि उस पर एडवर्स पुजेशन हो गया । यह जवाब इनका कंट्राडिक्टरी है । तो इसमें न तो कोई लीगल सवाल है और न इस में कोई एनटिसीपेटरी बात है ।

By raising this question, I have, in fact, served the purpose and interests of the State —

Mr. Speaker : I think , this question requires a little re-consideration. This is my feeling. The position, however, is that it was initially a Government property and then subsequently somebody had done something and it became the property of someone after sixty years. But, unfortunately, the answer given is rather confusing.

Shri Bansi Lal : No, the answer is not conflicting or confusing. The question is whether the land in question was a Government land? उस वक्त यह प्रापर्टी किसी प्राईवेट आदमी की थी और चूंकि वह इशूलैस मर गया इस लिये वह गवर्नमैन्ट को आ गई लेकिन मरने से पहले उस ने यह रहन रख दी हुई थी । जिस आदमी के पास उसने मरने से पहले रहन रखी उस का रहन का पीरियड 60 साल से ज्यादा हो गया और 60 साल के बाद उसे कोई छुड़ा नहीं सकता । गवर्नमैन्ट को राइट ट्रांसफर हुआ या नहीं और किस किस का हुआ this can be decided only by civil court. There is nothing wrong in the reply of the question.

चौधरी चांद राम : यह तो वकील भी रहे हैं और मैंने सुना है कि वकालत भी करते रहे है लेकिन मैं हैरान हुं कि वह कैसे यह बात कह रहे हैं कि प्राईवेट परसन की प्रापर्टी पर 60 साल के बाद एडवर्स पुजैशन हो जाता है । उनको पता होना चाहिये कि प्राईवेट परसन की प्रापर्टी पर नहीं होता है गवर्नमैट प्रापर्टी पर होता है ।

Shri Bansi Lai : Sir, in this case, when this land was mortgaged, it was a private property. The owner of the

property mortgaged it to somebody else. So, initially, it was a private property. Later on, however, when the owner of the property died issueless, the property went to the Government.

चौधरी चांद राम : वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि वह प्राइवेट प्रापर्टी थी जो कि उस के इशुलैस मरने पर गवर्नमेंट को आई और गवर्नमेंट के कागजात पर चढ़ गई और उस को नजूल लैंड कहते हैं । नजूल लैंड के बारे में कायदा यह है कि पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार या माल अफसर जो भी था उसे चाहिये थे कि वह उस जमीन को रीटरीव कराता और 60 साल का अरसा गुजरने न देता । बाकी इस में बात यह है कि प्राइवेट प्रापर्टी पर यह 60 साल वाली बात लागू नहीं होती सिर्फ गवर्नमेंट प्रापर्टी पर ही 60 साल के बाद एडवर्स पुजैशन होता है और उस पर गवर्नमेंट का हक नहीं रह जाता ।

स्पीकर साहब, मैं आप के जरिए अर्ज करना चाहता हूँ कि उन अफसरों को सजा दी जाए जिन्होंने इस जमीन को टाईम पर छुड़वाने की कोशिश नहीं की । यह तो गवर्नमेंट प्रापर्टी को रीटरीव करने के लिये लाकूना है जिस के लिये गवर्नमेंट कोई न कोई कानूनी कारवाई करे । इस कमीन को हरिजनों को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । It is a case of Government Property

श्री बंसी लाल : यह 1965 का केस है और 1965 में आफिसर पंजाब के थे । अगर वे उस वक्त इस केस को नोटिस में

लाते तो कोई न कोई कारवाई हो सकती थी । 60 साल हो गये हैं लेकिन इस को छुडवाया नहीं इस लिये we cannot do anything at this stage.

Mr. Speaker : The question is now very simple. In case those officers who are connected with that period happened to be here, you may look into it....

Shri Bansi Lal : Sir, if there is mistake on the part of the officers then we can look into it but no officer can be punished unnecessarily.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैं आप से सबमिशन करना चाहता हूं कि इस केस में किसी न किसी आफिसर का तो कसूर होगा ही । अगर कसूर है तो उस के खिलाफ कोई न कोई तो कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री बंसी लाल : गवर्नमैन्ट डस की इन्क्वायरी करने के लिये. कह सकती है और उस के बाद ही पता चल सकता है कि किस का कसूर है किस का नहीं ।

Mr. Speaker : What the hon. Member means is that somebody must have been at fault. Whether that person is here or in Punjab or has left the service or-died is not known to anybody. That can only be found by an enquiry or investigation.

चौधरी चांद राम : क्या मुख्य मन्त्री महोदय डस केस को एल. आर. से एग्जामिन करवायेंगे ताकि पता चल सके कि

असलियत क्या है और किसी तरह से गवर्नमैटं प्रापर्टी रिटरीव हो सकती है या नहीं?

श्री बंसी लाल : जी नहीं, क्योंकि 1965 के बाद उस पर हमारा कोई राईट नहीं बनता ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, इन्होंने तो अपनी लीगल ओपीनियन दे दी ।

He is not prepared to have it examined by a legal expert.

Shri Bansi Lal : Now a case will have to be filed in a civil court.

Development Minister (Chaudhri Sarup Singh) : A **reply** has already been given to the question. There should now be no debate. (Interruptions and Noise)

Mr. Speaker : I have not heard. What have you said ?

Chaudhri Sarup Singh : Sir, a reply has already been given to the question. Therefore, there should be no debate now.

Mr. Speaker : The Government do not propose to take any action in the matter. That is the reply .

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, डिपार्टमेंट के पटवारी ने जवाब बनाया और यहां भेज दिया (विधन) अभी अभी इन्होंने खुद कहा था कि डिपार्टमेंट नई गलती से भेज दिया है ।

Shri Bansi Lal : The Government does not file any civil case in favour or against anyone as the hon. Member wants.

Chaudhri Chand Ram : No, Sir. This is the House and here the Chief Minister says that I will squatter away the property of the Government. And he is not prepared to have legal opinion then what is the remedy with us ?

Mr. Speaker ; There is a remedy with us

(Laughter)

Water supply in canals upon ending of Indus Water Treaty

***823. Chaudhry Om Parkash** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether water supply increased in any of the canals in Haryana as a result of the ending of the Indus Water Treaty with Pakistan; if so, names thereof together with the quantity of water increased in each case;

(b) the quantity of water in cusecs which was being sup-

plied to Pakistan together with the quantity of water in cusecs which fell to the share of Haryana and Punjab, separately, after the said Treaty came to an end; and

(c) whether it is a fact that the water is still flowing to Pakistan ; if so ; the measures, if any adopted or proposed to be adopted by the Haryana Government for utilising the water of its share ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : (a), (b) and (c) The requisite information is laid on the Table of the House

(a) Yes. Water supply to Haryana was increased by 1,32,864 cs. days, out of which 71513 cs. days were delivered aftail B.M.L. and 61,351cs. days at R.D. 160 Narwana Branch up to end of July, 1970. Consequently all connected channels derived benefit.

(b) About 4,300 cusecs daily was being supplied to Pakistan in March, 1970 prior to the expiry of the Treaty. After the expiry of the treaty, the water supply of 1050 cusecs fell to the share of Haryana and 1,950 cusecs to that of Punjab. During the months of April, May and June, no water was released to Pakistan.

(c) During July onwards, the flood waters are being released because there is no arrangement to impound the water at the moment. The construction of Pong Dam is in progress. With its completion, the Beas waters will be fully controlled. Regarding Ravi waters, Punjab Government is considering the construction of Then Dam. The following schemes have been executed/under execution by Haryana Government for utilizing its share :-

1. W.J.C. Remodelling.
2. W.J.C. Feeder.
3. Gurgaon Canal Project.
4. Jui Canal Project.
5. Loharu Canal Project.
6. Sutlej Yamuna Link.

Collection of Land Revenue by Patwaris

***806. Lala Balwant Rai Tayal ;** Will, the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether there are any villages in the State, where the Patwaris collect land revenue and recover Taccavis; if so, district-wise number thereof ;

(b) the number of Patwaris, if any, out of those referred to in part (a) above, who were prosecuted for not depositing the said amount together with the number of those who were awarded punishment or were acquitted separately ; and

(c) whether the Patwaris are duly authorised to recover Taccavis and collect land revenue ?

Revenue Minister (Shri Neki Ram) (a) Under Government instructions, Patwaris cannot collect land revenue. They have, however, been sometimes engaged to recover land revenue where the Lambardars have not been in position. Patwaris have been asked to recover Taccavis also

where the Lambardars have not been able to recover them. The number of villages where Patwaris have been given this, job are given below :—

Jind	Hissar	Karnal	Rohtak
4	6	23	17

Number of Patwaris prosecuted 30

Number of Patwaris awarded punishment 6

Number of Patwaris acquitted 2

(b) No.

लाला बलवन्त राय तायल : स्पीकर साहब, इन्होंने जो बताया है उस के मुताबिक पटवारियों को रैवेन्यू और तकावी कुलैक्ट करने के लिये. अथोराइज किया गया है जबकि ऐक्ट के अन्दर इस किस्म का प्रोवीजन ही नहीं है । गवर्नमैन्ट ने यह जो काम किया है, क्या यह लीगली ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन हे?

श्री नेकी राम : कुछ केसिज में पटवारियों को वहां अथोराइज किया गया है जहां लम्बरदार नहीं था या जहां इस काम के लिये लम्बरदारो की जिम्मेदारी नहीं हो सकती थी ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जबकि कानून में यह प्रोवीजन ही नहीं है कि पटवारी रैवेन्यू और तकावी कुलैक्ट कर सकते हैं तो आप ने किस कानून के तहत पटवारियों को अथोराइज किया है?

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : उन्होंने किसी कानून के खिलाफ कोई गलत काम किया है इसी लिये तो उनके चालान हुए और उन को सजा हुई ।

श्री मंगल सैन : जरा इन्हें भी जवाब देने की ट्रेनिंग दे दें (हंसी) ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे. कि वे कितने लोग हैं जिन के पास दोबारा यह नोटिस गया है कि तुम रैवेन्यू और तकावी वसूल कर सकते हो?

श्री बंसी लाल : यह सप्लीमैटरी इस क्वेश्चन से अराईज नहीं होता ।

लाला बलवन्त राय तायल : स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि 40 केसिज हैं जिन में से 30 आदमियों ने पैसे खाये है और इस के लिये उन्हें प्रोसीक्यूट किया गया है । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या उन की प्रोसीक्यूशन इस लिये हुई है कि उन्होंने रैवेन्यू और तकावी कुलैक्ट की है या इस लिये हुई है कि उन्होंने पैसे खाये हैं?

श्री बंसी लाल : इंडीविजुअल केसिज की डिटेल अभी मेरे पास नहीं है । जैसा कि जवाब में बताया गया है कि लम्बरदार इस हैसियत में नहीं थे कि रैवेन्यू और तकावी वसूल करते । क्योंकि कहीं छोटा गांव है, कहीं-कहीं लम्बरदार का झगड़ा चल रहा हो तो लम्बरदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है । पटवारियों से तकावी और रैवेन्यू कुलैक्ट कराना एज ए स्पैशल केस किया गया है । अगर किसी ने एम्बैजलमेंट किया है तो कानून के तहत इन्क्वायरी करके सजा दी जाएगी । अगर मैम्बर साहिबान चाहें तो कुछ इंडीविजुअल केसिस की इन्फर्मेशन कुलैक्ट करके दे सकते हैं ।

Mr. Speaker : As Tayal Sahib said there appears to be confusion with regard to this question. It appears to me that they could not have been prosecuted only because they collected the money as that was the order of the Government. I think, they have been prosecuted where the land revenue or tacavi, after collection, was not deposited with the Government. It is quite clear, how can the Government prosecute when it gives instructions to do a thing. So I am sure these are the cases where either the money was not deposited or they did something of that nature.

चौधरी जय सिंह राठी : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन पटवारियों को सजा हुई है उन को किस केस में, किस जुर्म में सजा हुई है? That has not been made clear.

श्री नेकी राम : उन्होंने रैवेन्यू और तकावी के रूप में जो रकम वसूल की थी वह या तो खुर्दबुर्द कर दी या खजाने में दाखिल नहीं करवाई ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि किसी खास मौके पर, किसी खास जगह पर इजाजत दे दी गई थी । परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पटवारियों को ही सजा दी गई है या इजाजत देने वालों क खिलाफ भी कोई कार्यवाई की गई है?

Mr. Speaker : Whether this is right or wrong, some body asked or gave directions to those people to collect revenue or taccavi. So, they could not be prosecuted for doing so because that was at the instance of the Government machinery. So, that question does not arise.

Shri Bansi Lal : We can supply information to the hon. Member about the section under which they were challaned or prosecuted.

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, मैंने उनसे पूछा था कि जिनको सजा हुई है उनको किस सैक्शन के तहत और किस जुर्म में सजा दी गई है । उन्होंने बता दिया एम्बैजलमैन्ट की वजह से सजा हुई है । अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा केस तो नहीं जिस में पटवारी को अख्तियार नहीं दिया गया हो ले किन उसने पैसा कुलैक्ट किया हो और उसे सजा दी गई हो?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, इसके बारे में मैंने अर्ज किया था कि किस किस सैक्शन के तहत और किन किन हालात में प्रोसीक्यूट किया गया है this information we can supply

Mr. Speaker : He is asking a new question now. Is there any case where the Government did not authorise any Patwari to collect revenue or taccavi but he did it and Government has taken action against him ?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, वैसे तो मेरा जवाब इस बात को कवर करता है लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज होगी that will be clarified.

Mr. Speaker : They will clarify it. So, what I suggest is that on this question we could ask further supplementaries tomorrow or day after.

Shri Bansi Lal : On the 27th.

Mr. Speaker : All right, on the 27th

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मानयोग मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि 27 तारीख को जब इस प्रश्न का उत्तर दिया जाये तो वे मेरे प्वायंट का भी पता करके उत्तर दें । मेरा प्वायंट यह है कि पार्ट (ग) के जवाब में बताया गया है कि कानून के मुताबिक पटवारियों को रैवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता । अगर यह बात सही है तो क्या ये अब भी गैर-कानूनी कार्यवाही को चलने देंगे या इस

गैर-कानूनी कार्यवाही को कानूनी कार्यवाही करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी?

श्री बंसी लाल : इस लैकूने को दूर करने के लिये मामला सरकार के विचाराधीन है ।

**Construction of Building to house S.D.M's & J.M. and
Tehsil Offices at Panipat**

***805. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Revenue

be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any building at Panipat to house the courts of S.D.M., Judicial Magistrate and the tehsil office, at one

place ; if so, the details of progress made in this behalf ?

राजस्व मन्त्री (श्री नेकी राम) : जी हां । उपायुक्त करनाल से आये प्रस्ताव का निरीक्षण किया जा रहा है ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि डिप्टी कमिश्नर करनाल से प्रस्ताव कब आया था?

श्री नेकी राम : यह तो मैं ठीक नहीं बता सकता कि कब आया ।

श्री मंगल सैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि आपको जो उपरोक्त प्रस्ताव भेजा गया था वह किस तिथि को भेजा गया था उन प्रस्ताव में किन-किन बातों का वर्जन है और सरकार ने अब तक उस मामले में क्या निर्णय लिया है ।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : प्रस्ताव तो स्पीकर साहब 17 जुलाई, 1970 को आया । इसमें सरकार का विचार ऐसा है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और हर सब-डिविजनल हैडक्वार्टर में मिनी सैक्रिटेरिएट बनाएं जहां सरकार से सम्बन्धित सैटूल गवर्नमेंट के औफिसीज भी हों, स्टेट गवर्नमेंट के औफिसीज भी हों, सैमी-गवर्नमेंट औफिसीज भी हों सभी औफिसीज इकट्ठे हो जाएं ताकि जनता को एक ही जगह सारे काम हो जाने की सहूलियत रहे । सारी ही स्टेट के लिये यह मसला गवर्नमेंट के विचाराधीन है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब यह बात तो बड़ी रोचक और दिलचस्प है कि रैवेन्यू मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि पता नहीं प्रस्ताव कब आया था मगर मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 17 जुलाई, 1970 को आया ।

श्री अध्यक्ष : आपको तो उत्तर मिल गया. चाहे कैसे मिला ।

श्री मंगल सैन : वह तो ठीक है मगर मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उन्हें कहें कि प्रिपेयर होकर आया करें । दूसरी बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट और सब-डिविजनल हैडक्वार्टर्ज में मिनी टाइप सैक्रिटेरिएट बनाने के साथ साथ जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट और सैमी-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को शामिल करने की बात जोड़ दी वह कुछ जंचती नहीं

श्री बंसी लाल : हम उनको भी परसुएड करेंगे ।

श्री मंगल सैन : इसका मतलब तो यह हुआ कि डाकखाना भी उसमें आएगा, कस्टम का डिपार्टमेंट भी बीच में आ गया, टैलीफोन एक्सचेंज भी बीच में आ जाएगी

श्री अध्यक्ष : सभी डिपार्टमेंट्स आ गए ।

श्री बंसी लाल : टैलीफोन एक्सचेंज उस में नहीं आएगा । हमारी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के इन्कम-टैक्स और इसी तरह के दूसरे औफिसीज जिनमें बैंक भी शामिल हैं इसमें आए ताकि जनता को सहूलियत रहे । एक जगह आने के बाद सभी काम एक जगह हो जायें ।

श्री मंगल सैन : यह सैन्ट्रलगवर्नमेंट वाली बात पौसीबल नहीं होगी ।

श्री बंसी लाल : मैंने यही कहा कि हम उन्हें परसुएड करेंगे ।

श्री फतेह चन्द विज : यह कब तक डिसीजन कर लिया जाएगा ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, जल्दी से जल्दी हम यह फैसला करना चाहते हैं ।

चौधरी जय सिंह राठी : क्या मती महोदय बतायेंगे कि पानीपत में इस तरह का सैक्रिटेरिएट बनाने के लिये किसी किस्म का फैसला यानि फलां जगह इतनी जमीन ली जाएगी, इतना पैसा खर्च होगा और बिल्डिंग का यह साईज होगा, कर लिया गया है?

श्री नेकी राम : 10 एकड़ जमीन इस मतलब के लिये सिलैक्ट की जा चुकी है ।

चौधरी जय सिंह राठी : वह कहां है उसकी लोकेशन क्या है?

श्री नेकी राम : पानीपत में जी. टी. रोड़ के साथ ही पी. डबल्यू डी. रैस्ट हाउस के पास ही है ।

चौधरी जय सिंह राठी : क्या वह सरकारी जमीन है या प्राईवेट लैन्ड है?

श्री नेकी राम : सरकारी है ।

चौधरी जय सिंह राठी : क्या रैवेन्यू मिनिस्टर बतायेंगे कि वह हरियाणा सरकार की जमीन है या सैन्ट्रल गवर्नमेंट की है?

श्री बंसी लाल : फौजी पड़ाव की है, जहां तक मेरा ख्याल है । उसको खरीदने की बात हमारी चल रही है ।

श्री अध्यक्ष : वह कैम्पिंग ग्राउन्ड की जमीन है ।

चौधरी जय सिंह राठी : क्या कैम्पिंग ग्राउन्ड फौजियों के हाथ में होता है या वह सरकारी जमीन तसलीम होती है?

श्री बंसी लाल : यह जमीन केन्द्रीय सरकार की डिफेंस मिनिस्टरी की होती है जिसे लेने के लिये डिफेंस मिनिस्टरी को पेमेंट करनी पड़ती है ।

चौधरी जय सिंह राठी : क्या उसकी पेमेंट कर दी गई है?

श्री बंसी लाल : अभी तक केस फाइनल नहीं हुआ है ।

Mr. Speaker : It will hardly help the hon. Member. I think, we are losing valuable time of the House. Let us go to the next question.

Officers Suspended/Reinstated/Exonerated

***812. Shrimati Chandravati :** Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) the total number of officers placed under

suspension during the last two years together with the number of such officers, among them, who have since been reinstated; and

(b) whether any officers out of (a) above have been exonerated ; if so, whether any action has been taken against officers who were responsible for placing the officers referred to in part (a) under suspension ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : The time and labour involved **in collecting** the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्रीमती चंद्रावती : जनाब, स्पीकर साहब, कुछ अफसरों को बिना वजह से सरकार ससपैन्ड कर देती हूँ, इस लिये मैं समझती हूँ कि यह बहुत पब्लिक इम्पारटैन्स की बात है और मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि इस के बारे में इस तरह से जवाब देना क्या उचित है?

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि बहन जी ने जो 812 नम्बर क्वेश्चन किया है उसको अगर आप गौर से पढ़ जाएं तो उन्होंने पार्ट (क) में पूछा है कि पिछले दो सालों में जो औफीसर्ज ससपैन्ड किये हुए हैं उनका टोटल नम्बर बताया जाये और फिर बताया जाये कि उनमें से रीइन्स्टेट कितने हुए हैं? पार्ट (ख) में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात पूछी है कि उनमें से एगजौनोरेट कितनों को किया गया है? स्पीकर साहब, मुझे जैसा मैम्बर अगर यह सवाल पूछता तब तो हो सकता था कि उसने दायें बायें से प्रभावित होकर सवाल किया हो लेकिन मुझे भरोसा

है कि बहन जी ने बड़ी ठीक जगह पर और बड़ा ठीक सवाल किया है । स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि ऐन टाईम पर क्वेश्चन टेबल किया गया, डिपार्टमेंट ने बिल्कुल उस को देखा, एग्जामिन किया और सारे रूलज को देखने के बाद इसे एडमिट किया । आज अगर ये इसका जवाब देना इवेड करें तो यह डैमोक्रेसी के साथ मजाक होने वाली बात है । स्पीकर साहब, मैं इस मामले में आपकी प्रोटैक्शन चाहता हूँ । (विधन)

गृह मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल) : उसे एक ही बार लेकर अपने पास रख लो । (विधन)

चौधरी रणबीर राठी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा सरकार के तहत अफसरों की संख्या का ताल्लुक है वे केवल चन्द हजार ही हो सकते हैं और उनमें से मुअत्तिल होने वाले आदमी तो सैकड़ों ही हो सकते हैं, अर्थात् सौ या पचास । तो पचास आदमियों का एक कागज पर नाम लिखा जा सकता है । इसमें कोई अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए दरखास्त करता हूँ कि यदि मुख्य मंत्री महोदय अपनी जिम्मेदारी की वजह से या किसी के नाम को छिपाने की वजह से यहां हाउस में नहीं बताना चाहते हैं तो वे उनका नम्बर तो दे सकते हैं । अगर वे नम्बर भी नहीं देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि सदस्यगणों के अधिकारों पर आघात है जिसके लिये हम आप का संरक्षण चाहते हैं और आप हमें संरक्षण दीजिये ।

श्री जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब देने में बहुत टाईम और पैसा खर्च करना पड़ेगा, वह जवाब उचित नहीं है । स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछता हूँ कि इ नके कैलकुलेशन करने में जो खर्चा होगा वह उस खर्च से तो कम ही होगा जो उन के ससपेंड करने में और रीइन्स्टेट करने में होगा ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी चांद राम : यह कहना कि यह स्टेट के बैनिफिट में होगा यह उचित नहीं । यह एक बहाना है । पहले की गवर्नमेंट का एक सरकुलर भी है कि कोई भी अफसर छः महीने से ज्यादा ससपैन्ड नहीं रह सकता है । अगर छः महीने से ज्यादा टाईम तक ससपैन्ड है तो उसकी वजह देनी होती है कि इस वजह से उसकी इन्क्वायरी नहीं हो सकी । जब वह रिपोर्ट आती है तो वह भी गवर्नमेंट के खर्च पर आती है उससे गवर्नमेंट की एफीशेन्सी का पता चलता है कि वह कितनी एफीशेन्ट है । अगर एक आदमी के पास एक साल या दो साल तक कोई काम न हो और फिर दो साल के बाद वह दोषमुक्त हो जाये तो उसके बाद गवर्नमेंट को सारी तनखाह देनी पड़ती है । दोष मुक्त हो जाने पर स्टेट के लिये बैनिफिट नहीं होता है । यह कहना कि टाईम और लेबर इन्वालयड होगी यह उचित नहीं है । मैं तो समझता हूँ कि यह बड़ा ही अहम सवाल है । चौधरी रणबीर सिंह जी ने भी कहा है कि इसका उत्तर देने में बहुत दिक्कत नहीं होगी । केवल पचास

या सौ अफसर ही ऐसे हो सकते हैं । यह सवाल तो इस लिये पूछा गया था कि जो इक्वायरी आफिसर नियुक्त हुआ हो वह छः महीने से ज्यादा समय इन्क्वायरी करने में न ले । दूसरी बात यह है कि जो आफिसर सस्पैन्ड हो गये हैं उनके अन्दर डिसकंटेन्टमेंट रखना भी उचित नहीं । यह कोई इस प्रकार की स्टेट तो नहीं है जिससे आफिसरों में परेशानी हो । यह तो एक वैलफेयर स्टेट है । इस लिये स्पीकर साहब, मैं आप की इस पर रूलिंग चाहूंगा ।

Mr. Speaker : You have asked for my ruling. Why do you give such a long lecture ?

चौधरी चांद राम : इस लिये कि इनके दिमाग में भी यह बैठ सके ।

श्री बंसी लाल : इस प्रकार से तो सरकार को हर महकमे की हर ब्रांच को सरकुलर भेजना पड़ता और फिर डाटा कुलैक्ट करती । किसी ब्रांच का या किसी महकमे के बारे में पूछते तो उत्तर दिया जा सकता था परन्तु हर महकमे को सरकुलर भेजने और डाटा कुलैक्ट करने का जहां तक सम्बन्ध है इस के बारे में तो सरकार का जो जवाब है वह ही जस्टीफाईड है ।

चौधरी जय सिंह राठी : इस सवाल का केजवाब तो मैं भी दे सकता हूं । (विघ्न)

Mr. Speaker : Why do you waste your time ? Please sit down. I feel that the biggest privilege of an honourable

member is to ask a question in the House. Secondly this question also pertains to an important matter which affects the morale and prestige of our Government servants. Thirdly, it only pertains to officers and I think there are certain categories of officers. So I wish this question should have been separated. I am told it covers both categories which I don't think is the aim or object of the question. So I feel even if time and labour is wasted a member is entitled to it. It is very important. Such information about such matters should be made available unless it runs into volumes which is humanly impossible.

Shri Mangal Sein : This is possible.

Mr. Speaker : Yes, this is possible.

Rao Birender Singh : Sir, all the questions sent by the honourable members are scrutinised, amended, accepted or rejected by the Hon. Speaker and to say that the question was vague or it was not properly put or it was not properly worded and it would waste labour of the Government, is also casting aspersion on the Chair of the House. Once a question has been admitted the Government should make every effort to give a reply to that question. It happens everyday that we are given evasive and unconvincing replies. When they want to avoid certain question they come forward with such an answer that time and labour would be wasted. Even if it were so it would be time and labour at the expense of the public. The officers and staff are being paid out of public funds. They are not the only custodian of the time and labour and money of the public. So I would request, Sir, under the rules you cannot force them but there should be some moral binding on the

Government in this august House to try and give reply as it should be in a parliamentary democracy and not avoid reply to the questions.

Mr. Speaker : I don't think there was intention of casting any aspersion on the Chair. It is a question of opinion. He thought so. I have given my way of thinking and you have done so. I feel wherever it is possible where the volume of work is not so much that it becomes impossible to collect the information in the time given them it is a different matter

श्री बंसी लाल : यह फैसला कौन करेगा कि कितने वाल्यूम मे होगा ।

It can only be decided when the information is collected. We cannot collect an information of general nature. If the information is required of a specific nature, for a Department, for a category of officers then that can be provided.

Mr. Speaker : What you are saying is this. I am sure the number of cases where people have been suspended, officers have been punished cannot be very high, meaning thereby, going into thousands. It must be a reasonable number and if need be clarification may be asked from the Vidhan Sabha Secretariat or the Member concerned as to what particular class this question refers to. I personally feel this is an important matter and certainly no State Government or country would like that its officers are harrassed or are put to unnecessary trouble by one way or the another. If there is truth, only an answer can bring that out. Let us suppose, in this case, 500 officers have been suspended, 400 have been

punished, then there is something wrong somewhere. After all an officer cannot be suspended for nothing. This is very serious. It involves the prestige.

Shri Bansi Lal : Sir, if an officer has been wrongly suspended or punished he can seek remedy in a civil court.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदया इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि अब तो मुझे मालुम नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का सरकार के कार्य को चलाने का कौन सा तरीका है परन्तु पहली सरकारों के समय बाकायदा हर महीने रिपोर्ट आया करती थी कि कितने आदमी सस्पेंड हुए हैं और कितने अफसरों के खिलाफ कार्यवाहियां मुकम्मल हुई हैं चाहे वे अफसर हैं या किसी दूसरी कैटेगरी के हैं । पचास-सौ आदमियों के नाम देने में केवल एक या दो सफा लगेंगे । यह इन्फर्मेशन देने में कोई इतनी कठिनाई नहीं हो सकती । इस में तो यही देना है कि कितने आदमी सस्पेंड हुए हैं और कितनों के खिलाफ अभी कार्यवाही पूरी होनी है । जो आदमी 6 या 9 महीने से सस्पेंड हैं उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही होनी होती है वह जल्दी हो जाती है । इसलिये यह जरूरी है कि जो भी इन्फर्मेशन है वह यहां दी जाये । जब महकमे की कार्यवाही गलत साबित हो जाती है और जब महकमे पर डिग्री होती है तो इस में लोगों का पैसा जाता है किसी खास एक व्यक्ति का नहीं जाता । इसलिये यह तो लोगों के पैसे का सवाल है किसी व्यक्ति के हक की रक्षा का सवाल नहीं है । यदि किसी के हक की रक्षा का सवाल है तो भी वह सदन में आ

जायेगा परन्तु जो इन्फर्मेशन मांगी गई है यह सदन में आनी ही चाहिए ।

Shri Bansi Lal : Sir, a clarification was asked for from the Vidhan Sabha Secretariat and it was found that the lists of officers, both gazetted and non-gazetted were required and they were very long.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट में आफिसर्ज और दूसरे कर्मचारियों दोनों का जिक्र होता है ।

Mr. Speaker : The Government might make the position clear. But , normally, there is a report every month which shows as to how many officials were suspended during that month and how many were under suspension already. This is what is normally done. I do not, however, know the position about Haryana. The report also shows such cases pending over six months. Here, to my mind, the answer to the question put was both for gazetted and non-gazetted officers. So, I think, it becomes quite a big list.

Shrimati Chandravati : Sir, I may be allowed to say something.

Mr. Speaker : Yes, you may.

श्रीमती चंद्रावती : स्पीकर साहब, अगर सूचना ज्यादा थी तो मुख्य मंत्री महोदय हमें नम्बर ही दे देते तो भी हम कुछ तसल्ली कर लेते । इनके नम्बर भी न देने से तो यह रिवील होता

है और साफ पता चलता है कि गवनेमेंट कितनी इन-कम्पीटैण्ट है।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, अगर हम नम्बर दे देते तो रीजन पूछे जाने. थे कि क्यों सस्पेंड किये गये तथा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन्ज में और बहुत कुछ भी पूछा जाता (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब मैं एक बात आपके जरिये हाउस को बतलाना चाहती हूँ और वह यह कि एक श्री लोकेन्द्र सिंह जी एस. एस. बोर्ड के सैक्रेटरी थे उनको सरकार ने सस्पेंड किया और अदालत में पर केस चलाया और अदालत ने उस के हक में फैसला दे दिया है और वह रीइनस्टेट हो गये है । इसके बावजूद भी उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है । मेरा प्रश्न पूछने का मतलब यह हूँ कि यह पता चले कि कहीं किसी को नाजायज हरास तो नहीं किया जा रहा है? मैं ऐसा समझती हूँ. कि अगर इन्फर्मेशन इतनी लम्बी थी तो कम से कम कुछ तो बता देते । क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा खराब तो मैं नहीं कहूंगी कमजोर हो गया है और उसमें कमियां आ गई है कि कोई आदमी ठीक से काम ही नहीं कर रहा? मेरा तो यह वरशान है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां आ गई हैं ।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी जवान से तो यह नहीं कहा कि हरियाणा सरकार के अन्दर इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं आती कि विभागों में कितने

आदमी मुअत्तिल है और कितने बहाल हो गये है लेकिन पहले तो यह प्रथा थी कि यह इन्फर्मेंशन आया करती थी । मैं आप के माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि यदि उन्होंने यह प्र-था बन्द कर दी है तो इसे जारी कर दें । (विघ्न)

Mr. Speaker : Did you ask a question or was it a suggestion ?

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी ने अपनी जवान से तो नहीं कहा कि यह प्रथा नहीं है । मेरे प्रश्न पूछने को यह कहते हैं कि यह तो भाषण है । अगर वे ऐसा कहते हैं तो शायद किसी को बोलने का मौका भी नहीं दिया जायेगा । आपने जब एक जनरल रिमार्क पास किया कि क्या आम तौर पर सरकारें ऐसा करती हैं तो मैंने कहा कि पहली सरकार ऐसा करती थी तो मुख्य मंत्री जी ने हाथ के इशारे से इनकार किया । मैंने कहा कि अगर मुख्य मंत्री जी ने प्रथा बन्द कर दी है तो क्या मुख्य मंत्री जी इस प्रथा को उस सूबे का पैसा बचाने की खातिर सरकारी मुलाजिमों के दिलों को काम में लगाये रखने की खातिर जारी रखने का आदेश देंगे?

राव बीरेन्द्र सिंह : जनाब स्पीकर साहब, पहले एक प्रैक्टिस थी जिस के अनुसार इस बारे में सैक्रेटेरियेट में सब विभागों से पीरियाडिकल रिपोर्ट आती थी और वह केबिनट मीटिंग में रखी जाती थी । पंजाब से यह कायदा चला आ रहा है हरियाणा जब पंजाब से अलाहिदा हुआ तो हो सकता है कि इस

कायदे को उन्होंने बदल दिया हो या पंडित भगवत् दयाल ने पहले ही बदला हो लेकिन हमारे होते तो यह कायदा था (हंसी) जैसा कि चौधरी रणबीर सिंह ने पूछा है कि क्या यह पीरियाडिकल रिपोर्ट जो पहले आती थी अब नहीं आती अगर नहीं आती तो क्या मुख्य मंत्री महोदय फिर से यह रिपोर्ट मंगवाने का आदेश देंगे?

Mr. Speaker : Order, please. We are all confusing the issue.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब इनको तो कुछ पता ही नहीं ।

Mr. Speaker : This might be checked up.

Rao Birender Singh : The Chief Minister should know it.

Mr. Speaker : He has given a definite reply that they did not have such information. Now, he will try whether such a system could prove good.

राव बीरेन्द्र सिंह : सर, इनको तो किसी चीज का पता ही नहीं है ।

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे एक बात साफ हो गई है और वह यह कि यदि वह हाउस में नम्बर दे देते तो सप्लीमैण्टी क्वेश्चन पूछे जाते । इसका मतलब तो यह है कि उन्होंने इन सप्लीमैट्री

क्वैश्चन्ज से बचने के लिये जवाब नहीं दिया है । यह जानबूझ कर जवाब को अवायड कर गये है ।

Mr. Speaker : I have already given my ruling on this.

Shri S.P. Jaiswal : Mr. Speaker, Sir, may I request that halfan-hour discussion may be allowed on this particular matter. May be, some of the information, which is not now available, will be brought to the notice of the House then. I feel that the manner in which the information is being withheld by the Chief Minister, is an insult to the House and the only alternative is the permission for half-an-hour discussion.

Mr. Speaker : I could consider the question. But, it will take a month or so to collect the requisite information. How can you expect the Government to collect the information during thenext two three days.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, इस की इजाजत नहीं होनी चाहिये क्योंकि जब सप्लीमेंट्री एस्टी मेट्स आयेंगे, डिमान्डज आयेंगी, एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा, तो इन पर कोई पाबन्दी तो है नहीं, यह डिसकस कर लें ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने बड़ी वैल्यू की बात कही है कि मामला बड़ा संगीन है अ1एर इस में जो हमारे आफिसर्ज है' उनके मोरेल को तथा उनके उत्साह को बनाये रखने का प्रश्न है । मुख्य मंत्री जी क्योंकि इतने दिनों में सूचना

कुलैक्ट नहीं कर सके है, तो आप कृपया हाफ—एन—आवर डिसकशन जिसका कि रूलज में प्रोवीजन है की इजाजत दे दें । स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री साहब ने फरमाया है कि यहां सप्लीमेंट्री एस्टीमेटस आयेंगे, हर डिमाण्ड पर बहस होगे, तब हम इस मामले को डिसकस कर सकते हैं । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उन्हें यहां बैठने का बहुत कम मौका मिला है क्योंकि वह पहले राज्य सभा में बैठते रहे हैं । उनको पता नहीं है कि हाउस के अन्दर जब बजट आता है तो उस समय हम डिमाण्डवाइज बहस कर सकते हैं । सप्लीमेंट्री एस्टीमेटस में तो जिन आईटमज का उल्लेख होगा, उन पर ही बहस की जा सकती है, उनके अलावा हम बाहर नहीं जा सकते ।

श्री बंसी लाल : हमारे आफिसर्ज का जितना अब मोराल हाई है उतना पहले कभी भी नहीं हुआ ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, इनके कारण कितने ही आफिसर्ज तो दिल्ली भाग गये है कितनों को यह सस्पेंड कर चुके है और फिर रीइनस्टेट करने को तैयार नहीं है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि हाफ—एन—आवर डिसकशन अलाओ कर दीजिये मैं इसके लिये आपको लिख कर दे देता हूं ।

Mr. Speaker : But the question is on what point ? The information is not available. How will the Government furnish the information within such a short time ?

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, आप इन्हें पांच—सात दिन का टाईम दे दीजिये और तब तक के लिये हाउस एक्सटैंड कर लिया जाएगा । (हंसी)

यह कोई मजाक वाली बात नहीं है । एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर आई. ए. एस. तथा दूसरे सीनियर आफिसर्स को टोरचर किया जाता है । मेरा कहना यह है कि अगर आप हमें मौका नहीं देंगे तो हम कैसे बतायेंगे कि यह उनकी इन्फ्रीशैन्यी न होकर कोई और बात है । स्पीकर साहब, मेरी फिर आप से अर्ज है कि यदि आप चाहें तो हाउस को 8—10 दिन के लिये एक्सटैंड कर दें और फिर इस मामले पर गौर कर लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : डिस्कशन तो तब हॉ जब कि उन के पास इन्फरमेशन हो ।

श्री बंसी लाल : हम कोशिश करेंगे कि यह इन्फरमेशन कुलैक्ट करें ।

If you remember, I have given a ruling that such questions as have an important bearing on several important aspects should be answered in the first instance. I can again ask the Government, if possible , to answer this question in this Session, otherwise in the next Session.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया था कि सदस्यों का सब से बड़ा अधिकार है कि सरकार से जो सूचना ली जानी

चाहिये वह लें और अगर सरकार उस सूचना को नहीं देती तो यह सदस्यों का अधिकार है कि वह सूचना लेने के लिये कोई तरीका निकालें । हो सकता है कि मुख्य मंत्री, जैसा कि उन्होंने कहा उनके पास इस समय इसका जवाब तैयार न हो । सदन की कई समितियां हैं जैसे प्रिवीलेज कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी, अश्योरेंस कमेटी, किसी भी कमेटी के जिम्मे यह काम लगा दिया जाए और वह कमेटी पता कर ले ।

श्री बंसी लाल : मैं इसके लिये तैयार नहीं हूँ ।

Mr. Speaker : And this question can be split into two categories.

चौधरी रणबीर सिंह : वह कमेटी सैक्रेटेरियेट में से लेकर पता कर लेगी कि कितने आदमी ऐसे हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह सूचना अपने पास ही रखना चाहती है?

Mr. Speaker : He has given an answer.

Chaudhri Ranbir Singh : Then it is a question of privilege and should be referred to the Privileges Committee.

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि स्पीकर को यह अधिकार है कि वह हाउस की एक कमेटी बनाए जो कि सैक्रेटेरियेट जाकर यह सूचना कुलैक्ट करे (मुख्य मंत्री की ओर से विधन) मेरी अर्ज है कि आप एक कमेटी बनायें और हम सारी इन्फरमेशन दो दिन के अन्दर ला कर दे देंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या इनका दिमाग है? चीफ मिनिस्टर साहब फर्मा रहे हैं कि सैक्रिटोरिएट में घुसने नहीं देंगे । तो क्या बनवारी लाल जैसे जो कि रोज पगड़ी बदलते हैं उन्हीं के लिये सैक्रिटोरिएट रह गया है? (विधन)

श्री बनारसी दास गुप्ता : जब एक डिफैक्टर चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो मिनिस्टरज के करे में आप क्या कर सकते हैं? आपने हरियाणा में सब से पहले डिफैक्ट किया और चीफ मिनिस्टर बन गये । (शोर)

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का रवैया देख लें । यह धमकी दे रहे हैं कि सैक्रिटोरिएट में नहीं घुसने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : राव साहब आप धमकियों से कहां डरने वाले हैं ।

It was certainly not a 'Dhamki'. It was more in a light vein. Question-hour is over several minutes ago. It is only because of these points of Order and this thing that it continued.

Any way, I assure the hon. Members that it is an important question and I would request the Leader of the House to go into it and give a suitable reply atleast for one category of officers gazetted officers and the rest we will see.

Chaudhri Sarup Singh : He cannot separate the question. Another question may be put about gazetted officers if the information is needed.

श्री बंसी लाल : विधान सभा सचिवालय से जो सवाल आया है उसमें गजेटिड और नान-गजेटिड दोनों का जिक्र किया हुआ है ।

There should be separate question and Government will then try its level best to give the reply if we can.

Mr. Speaker : Chaudhri Sarup Singh, we need not go into these technicalities. After discussion in the House we are trying to come to a reasonable thing i.e. for creation of cordial atmosphere and higher things. These are minor matters. What does it matter if answer in respect of one category of officers is given.

चौधरी बनवारी राम : मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । राव साहब ने जैसा मेरे बारे में कहा है उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये । मैं राव साहब को बता दूँ कि मैं तो उनके डर के मारे इधर आया हूँ

(शोर)

श्री अध्यक्ष : बनवारी राम जी, आप बैठ जाइए । यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि अगर फ्रैश नोटिस आ जाए तो हम इसका जवाब दे

देंगे । तो क्या अगर हम शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे दें तो हमको जवाब मिल जाएगा?

Shri Bansi Lal : I do not want to commit, Sir. I have said that Government will try its level best.

Mr. Speaker : The question can be sent today and they will do their very best to collect information.

चौधरी चांद राम : यह इनफरमेशन तो हैडक्वार्टर पर अवेलेबल होती है **Mr. Speaker** : What is the point in arguing about it ?

चौधरी रणबीर सिंह : एक प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया और उस प्रश्न के जवाब को आसान करने के लिये, सरकार की सुविधा के लिये चेयर ने एक रास्ता बताया है और मंत्री महोदय जो खुद एक डिप्टी स्पीकर रहे हैं वह अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिये । मैं समझता हूँ कि इस के लिये दूसरे प्रश्न का नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है । सरकार चाहे तो 28 तारीख से पहले यह सूचना दे सकती है ।

विकास मन्त्री (श्री सरूप सिंह) : मेरे दोस्त ने कहा है कि एक सवाल को 2- 3 हिस्सों में किया जाए । कायदे के मुताबिक मैं जानना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में कौन सा रूल है जिसके अंडर ऐसा किया जा सकता है?

चौधरी रणबीर सिंह : विकास मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा रूल है जो अध्यक्ष को ऐसा करने से रोकता है ।

Mr. Speaker : Chaudhri Sarup Singh, I assure you- I do not want to say any stronger words-you will not be able to substantiate what you said. After considering everything, I may assure you and you can discuss it with me in my Chamber, I can give a certain direction in the interest of the House. And here mine was only a suggestion, not even a direction. I suggest, this is a very minor point and if we can sort out something in the interest of the House why do it. To me if you ask whether this question is answered or not, it is not all that is material. After all there are hundred and one questions that lapse. It was after hearing the sentiments of the members that I gave a suggestion. As I said, if this question is split up for the convenience of the Government, the answer could come in two or three parts. After hearing the views of the members, as Speaker of this House, I said, the matter could be solved in this manner which was in the best interest of the State and of the House.

Chaudhri Sarup Singh : It can be a suggestion. But, there is no such rule. That was my submission.

Mr. Speaker Here, there is no question of any rule

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चौधरी सरूप सिंह जी को कहता हूँ कि वह बड़े ज्ञानी है वह ही बता दें,

वे कौन से रूलज हैं, जिसके तहत अध्यक्ष महोदय किसी प्रश्न को दो भागों में नहीं बांट सकते?

Mr. Speaker He will look into it

Chaudhri Sarup Singh All the Rules about questions.

Mr. Speaker Let us not go into it. This is too minor a matter .

(Interruptions)

Shri Mangal Sein : He has challenged you.

Mr. Speaker : He has not challenged me.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सवाल नहीं है, यह कुर्सी की इज्जत का सवाल है । आपकी चेयर का सवाल है । अध्यक्ष महोदय के बारे में किसी सदस्य को बगैर किसी रूलज के कही हुई बात को रोकने का इस सदन में कोई अधिकार नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका अधिकार है, आप ही हर बात को कह सकते हैं कि यह बात रूलज के खिलाफ है या नहीं ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, अब इस मामले को सुलझाना है । आप चाहते हैं कि यह बात न बिगड़े, आपने पहली बात कही है कि यह मेरा सुझाव है (शोर)

Mr. Speaker : Truth is that Chaudhri Sarup Singh should not have challenged the thing, once I had made my observations. As I said, it was a minor matter and after hearing the views of so many members I suggested that it could be tackled in that manner and the Leader of the House had agreed.

Shri Bansi Lal : On this point, I would also like to make a submission. Normally when a question is split into two parts, a separate notice is required. Even the Chair was not kind enough to clarify that a separate notice will be sent. Then Chaudhri Ranbir Singh raised some point which was challenged by Chaudhri Sarup Singh. So, legally that is a matter which requires to be examined by the Chair. But, in my view, the right course would have been that a separate notice is given for seeking that information.

Mr. Speaker : They are prepared to do so....

Shri Bansi Lal : If the Chair says that can be done otherwise also. But , I think, that is the right of the Government to ask for a separate notice.

(interruptions)

Mr. Speaker : Again we are making a mountain of a small mole.

श्री बंसी लाल : चौधरी साहब, उनकी स्टेटमेंट को चैलेंज कर रहे हैं ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया, मैंने आप को निवेदन किया था I never challenged his statement. But, when he challenged your authority, I challenged his authority.

Mr. Speaker : Hon. Members, it does not behove this August House. It is too small a matter.

Chaudhri Sarup Singh : I never challenged the authority of the Speaker. But, I challenged the authority of the member.

Chaudhri Ranbir Singh : I do not command any authority nor do I presume any authority. He has become a new Minister. He thinks that he has every authority. But. he has no authority in the house.

Mr. Speaker : We will have no further comments on this matter. I think, we have had enough.

Shri Mangal Sein : The House wants to know what has happened to the question ?

Shrimati Chandravati Shall I get answer to my question ?

Mr. Speaker : You will get the answer to your question only in relation to the gazetted officers.

Building of Police Post Hansi

***820. Chaudhry Hari Singh Saini** : Will the Minister for-Home be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the condition of the building of police post, Hansi is so dangerous that it can collapse at any time and cause death of any person by burrying him thereunder ; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, whether the Government has taken any steps for constructing a new building for the said Police Post; if rot, tie reasons therefor ?

Home Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) Yes.

(b) Yes. Stens are being taken to get a new building constructed for the said Police Post and plans and estimates for the purpose are under preparation.

**Functions held at Bhiwani Rest House and
Luhani**

***984. Malik Satram Dass Batra** Will the Chief Minister be pleased to Late —

(a) whether any expenditure was incurred on transport by the Hospitality Department in connection with the Bhiwani Rest House and Luhani functions ; if so, the amount thereof ;

(b) the total amount of expenditure incurred on meals, cold drinks, and fruit at the functions referred to in part (a) above.

(c) the number of waiters who went there together with the number of those who remained in the Legislator's Hostel at Chandigarh ; and

whether the Government is aware of the fact that no waiters remained there (in the Hostel) even to serve de morning tea to the M.L.As. ?

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल जी) : (क) सत्तकार संगठन ने ट्रांसपोर्ट पर कोई खर्च नहीं किया ।

(ख) 3, 957 रुपये ।

(ग) एम. एल. ए. होस्टल के चार वेटरों में से केवल दो इस समारोह के प्रबन्ध के लिये वहां गये थे और बाकी के दो वेटर होस्टल में अपने सामान्य कर्तव्य करते रहे ।

(घ) यह बात ठीक नहीं है कि एम. एल. एज. होस्टल से सुबह की चाय देने के लिए वेटर मौजूद नहीं होते ।

**Separation of P.S.I. Branch from the
Supervision of S. Ps,**

***868. Shri Randhir Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for the separation of the prosecuting agency from the supervision of the Superintendents of Police ?

Home Minister (Shri Kanhiya Lal Poswal) : Yes.

Subordinate Services Selection Board

***914. Rao Birender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state

(a) whether it is a fact that a Subordinate Services Selection Board has been constituted by the Government; if so the names of the personnel appointed on it together with their qualifications ;

(b) the estimated annual expenditure on the working of the Subordinate Services Selection Board ; and

(c) whether it is fact that one of the Member' s of the Subordinate Services Selection Board has already resigned if so, the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां, बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यो के नाम तथा योग्यताएं निम्नलिखित हैं :-

1. श्री मुशी राम (अध्यक्ष) आई. ए. एस. से सेवा-निवृत्ति से पहले राज्य सरकार के अधीन 10 साल से अधिक सेवा ।

2. श्री राम सिंह बाहमनी (सदस्य)सदस्य बनने से पहले राज्य सरकार के अधीन 10 साल से अधिक सेवा

3. लैफ्टिनैण करनल टीका सदस्य बनने से पहले भारत धनकर (सदस्य) सरकार के अधीन 10 साल से अधिक सेवा ।

(ख) 3,47,000 रु. सलाना

(ग) जी हां, एक सदस्य ने पहले त्याग पत्र दिया था त्याग पत्र देने का सदस्य ने कोई कारण नहीं दिया।

Repairs of Bridge over Yamuna Canal

***934. Dr. Malik Chand Gambhir :** Will the Minister for Public Work, be pleased to state :-

(a) whether there is any Proposal under consideration of the Government to repair the bridge over Yamuna Canal on old Saharanpur-Jagadhri road ;

(b) if so, the amount of expenditure likely to be incurred on the bridge, referred to in part (a) above, together with the time within which the said work is likely to be completed ; and

(c) whether any order for making girders for the bridge, referred to in part (a) above, has been placed if so, the date on which the said order was placed together with the time by which the said girders are likely to be made ?

Public Works Minister (Shri Ran Singh) : (a) Yes.

(b) The estimated cost of the work is about Rs 2 lakhs. The work is likely to be completed by March, 1971.

(c) Order for steel trussed girders for the bridge was placed with Nangal workshop in March, 1969. Control of this workshop is with Bhakra Management Board. They have recently intimated that 50 percent of the work has been completed by them. Complete fabricated bridge structure is likely to be received by the end of October, 1970.

**Stoppage of vehicles carrying copies of the
'Tribune**

***800. Shri Mangal Sein** : Will the Cheif Minister be pleased to state whether any vehicles, carrying conies of the Tribune' were stooped and challaned in May-June, 1970 ?

Home Minster (Shri K.L. Poswal) : Yes.

Use of Imported Machinery by the Irrigation
Department

***824. Chaudhry Om Parkash,** ; Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state

(a) the number of draglines, bull dozers and other imported machines with the Irrigation Department;

(b) the total value of the machinery referred to in part (a) above ;

(c) whether any machinery, out of that referred to in part (a) above, is lying idle ; if so, the extent and value thereof as at present together with the period for which such machinery has been lying idle ;

(d) the extent of the machinery, if any, lying idle along the Rajasthan Canal on Dabwali-Chautala Road near Aboob town together with the period for which the same has been lying idle there ;

(e) whether any dragline has been lying on Rohtak-Sonepat Road beside drain No. 8; if so, the period thereof ;

(f) the measures, if any, adopted or proposed to be adopted for making full use of the said machinery ; and

(g) the action, if any, taken or proposed to be taken against such employees on account of whose carelessness the said machinery remained idle ?

Irrigation and Power Minister, (Shri Ram Dhari Gaur) (a) 83,

(b) The present total value is Rs. 74.86 lacs approximately.

(c) Yes. 23 No. costing Rs. 14,00,128, 1963 to 1970.

(d) One No. D-6 Dozer since August, 1967.

(e) Yes. Since March, 1966.

(f) Repairs to the machines are being expedited by arranging requisite spare parts from abroad.

(g) No. No carelessness noticed.

Construction of Haryana Bhawan in Delhi

***807 Lala Baiwant Rai Tayal,** : Will the Rao Birender Singh Minister for Public Works be pleased to state ;

(a) the location of the place where Haryana Bhawan is being constructed in Delhi together with the amount of expenditure incurred so far and likely to be incurred in future, separately on the construction of the said Bhawan ;

whether it is a fact that different types of sets are being constructed in the Bhawan referred to in part (a) above

for different classes of people ; if so; the number thereof togetherwith the amount of expenditure likely to be incurred in each case, separately ; and

(c) whether any foreign material has been imported or used for the construction of the said Bhawan ; if so; the details thereof togetherwith the cost thereof ?

Public Works Minister (Shri Ran Singh): (a) Haryana Bhawan is situated on Lytton Road, New Delhi. The details of expenditure incurred so far and likely to be incurred in future are given below :

Item	Expendi- ture incurred	Expendi- ture likely to be	Total
	Rs	Rs	
(i) Building portion including	17,50,000	2,70,070	Rs 20,20,070
(ii) Electric installation including Electrical sub stations lifts,	2,65,261	3,18,327	5,83,588
(iii) Public Health amenities including external sewer and storm	2,79,381	1,00,619	3,80,000
Total	22,97,634	7,97,224	30,94,858

(b) Yes, different types of sets have been constructed. The main building provides Governor's suite,

Chief Minister's suite, four suites for the Ministers and 32 suites for M.L.As. and Officers. For Class III Government servants there is a separate four-storeyed block which provides Barrages on the ground floor and provides seven single room sets and 5 two-seated dormitories. Similarly for Class IV Government servants, there is a separate four-storeyed block providing eight family quarters, four single room quarters and three two-seated dormitories. A residence for the Estate Officer also has been constructed. The details of expenditure for each class are given below :-

(a) Main Building and Dining Hall. Details of expenditure likely to be incurred.

	Building portion	Electrici n stallati ons	Sanitary installa- tions	Total
1. 32 suites				
2. 4 Minister's suites	12,86,045		1,95,5683,46,570	18,28,183
3. 1 Chief Miter's suite				

4.	1 Governor's suite				
5.	Dining Room & Lounges and Con- ference Hall				
(b)	Furnishing Haryana Bhawan	2,71,800			2,71,800
(c)	Class II Block (3 storeys)	1,08,930			
(d)	Class IV Block (3 storeys)	1,21,700	15,500	24,480	3,39,995
(e)	Class III and IV (4th storey)	69,385			
(f)	Reception Officer's residence	40,510	3,610	8,950	53,070
(g)	Transformer room/ stores	56,900			56,900
(h)	Land Development and Renovation of existing tank	1,76,000			1,76,000
(i)	Cost of passenger lift Electrical sub station, dumb weighter, air conditioners, water coolers and Refrige-			3.68.910	3.68.910

rators

Journeys by the Finance Minister

***885. Chaudhri Chand Ram : Will** the Minister for Finance be pleased to state :-

(a) whether any journeys outside the Haryana State were performed by her in the months of June and July, 1970, if so, the purpose of the journey in each case ; and

(b) whether any T.A./D.A. for the journey referred to in part (a) above was charged ; and

(c) whether any Railway coupons, supplied to the Legislators, were utilized ?

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) जी हां ।
अपेक्षित सूचना की विवरणी सदन की मेज पर रखी जाती है ।

(बी) मैंने चूँकि सारी की सारी यात्रा सरकारी कार में की थी (एक को छोड़ कर जो कि मैं ने कालका से शिमला जाते समय रेल द्वारा की थी) इस लिए मैंने कोई भत्ता नहीं लिया । कुछ दिनों के अतिरिक्त जिस का व्यौरा संलग्न सूची में दिया है दैनिक भत्ता ही लिया है जो कि नियमों के अनुसार 35६— रुपए प्रति दिन के हिसाब से मिलता है ।

(सी) मैने विधान सभा सदस्यों को मिलने वाले कूपनों का भी प्रयोग नहीं किया ।

वित्त मंत्री द्वारा जून तथा जुलाई 1970 में हरियाणा राज्य से बाहर की गई यात्राओं का विवरण

यात्रा की तिथि से तक यात्रा का उद्देश्य

यात्रा की तिथि	से	तक	यात्रा का उद्देश्य
1- 6-70	देहली	जुलाना	
7- 6-70	जींद 9 अ. म.	देहली 6 प. म.	
8- 6-70	देहली 5 प. म.	चंडीगढ़ 11 प. म.	लोक हित में
12-6-70	चंडीगढ़	देहली	
	4-40 प.एम.	9-45 प.एम.	
13-6-70	देहली में ठहराव		दैनिक भता नहीं लिया
14-6-70			लोक हित मे

15-6-70

देहली

चंडीगढ बरास्ता

जखोली-कैथल

0-30 ए.एम.

16-6-70

20-6-70

चंडीगढ

देहली

7 प.म.

10-30 प.एम.

21-6-70

देहली

सोनीपत

1 प.एम.

व वापसी

22-6-70

देहली

चंडीगढ

5 प.एम.

9 ए.एम.

25-6-70

पिजौर

देहली

10-15 प.एम.

3-30 ए.एम.

26-7-70

26-6-70

देहली

पलवल

6 प.एम.

7 प.एम.

वापसी 10 प.एम.

27-6-70 देहली कैथल

8-45 प.एम. 11 ए.एम.

28-6-70 कैथल देहली

3-30 प.एम. 6-30 प.एम.

29- 6-70 देहली चंडीगढ़

6- 45 प. म. 12- 30 अ. म.

30- 6- 1970 ।

जुलाई 1970

3- 7- 70 चण्डीगढ़ देहली

5- 30 प. म. 11- 30 प. म.

4- 7- 70 देहली नारनौल, जींद
तथा उचाना ।

8- 40 अ. म.

5- 7- 70 उचाना देहली

	2 प. म.	4- 30 प. म.
6- 7- 70	देहली	चंडीगढ़
	4-3 0 अ. म.	9 अ. म.
8- 7- 70	चण्डीगढ़	देहली (बरास्ता
	3 प. म.	कैथल)
		1 1- 50 प. म.
9- 5- 70	देहली	चंडीगढ़
	7 प. म.	1 अ. म.
		(10-7-70)
14- 7-		
70	रोहतक 3 प. म.	देहली 4 प. म.
15- 7-		
70	देहली	चंडीगढ़
		(बरास्ता भिवानी
	8-2 0 अ. म.	जींद)

1 0— 30 प. म.

16— 7—

70

चडीगड

शिमला

0—30 अ. म.

10 अ. म.

17— 7—

70

शिमला में ठहराव

चंडीगढ

18— 7—

70

शिमला

4 प. म.

11— 30 अ. म.

23—7— 70

चंडीगढ

देहली

5 प. म.

10— 30 प. म.

24— 7—

70

देहली में ठहराव

दैनिक भता नहीं

लिया

25— 7—

70

देहली

रुडकी

7 अ. म.

10— 45 अ: म:

26— 7— रुडुकी से
70 रुडुकी हरिद्वार तथा
वापसी की यात्रा
प्राईवेट थी ।

8— 30 प. म. 1 अ. म.

(27— 7— 70)

29— 7—
70 चंडीगढ़ देहली
5 प. म. 10— 30 प. म.

30— 7—
70 देहली में ठहराव

31— 7—
70 देहली चंडीगढ़
3 अ. म. 10 अ. म.

Jui Canal

***813. Shrimati Chandravati :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

(a) total length and depth of Jui Canal ;

(b) per mile expenditure incurred on the construction of the canal referred to in part (a) above ;

whether the construction was done by any contractors ; if so, the names and addresses of the contractors ; and

d) whether any brick-kilns were also constructed for the supply of bricks for the canal referred to in part (a) above ; if so, the total expenditure incurred on the kilns ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) (a) i (b), (c) and (d) . The requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The total length of the Jui Canal is 19 .5 miles and its depth varies from 9'-7'.

(b) It is not possible to indicate exact cost per mile of the canal at this stage as most of the liabilities have yet to be discharged. The cost of the Jui Canal System, when completed, is estimated at about Rs. 3 .04 lakhs per mile.

(c) The list of the constructors is enclosed.

(d) Two brick kilns were set up through the Constructors for supply of bricks during the year 1969-70. Government only incurred expenditure relating to acquisition of land amounting to Rs. 35,027.

List of Contractors

Serial No.	Name of Contractor, Jui Feeder Rohtak	Division, Address
1	2	3
1	Shri Pargat Singh	14 R, Model Town, Rohtak
2	Shri Krishan Kumar	273-Model Town, Hissar
3	Shri Balwant Singh	Kotaha Bundi (Rajasthan)
4	Shri Kirpa Ram	234-W, III, Panipat
5	Shri C.R. Chhabra	Kirti Nagar, Delhi
6	Shri Hari Chand Jagdish Lal	Village and Post Office, Meham, Rohtak
7	Shri Om Parkash	Village and Post Office, Bhawanigarh, district Sangrur
8	Shri Jugti Ram	Village and Post Office, Badesra, Tehsil Bhiwani, district Hissar
9	Shri Badlu Ram	Village Mundhal, district Hissar
10	Shri Ram Lal	Model Town, Rohtak
11	Shri Hira Nand	Village Kahnaur, district Rohtak
12	M/s Ram Asra, Ramesh Chand	Lajpat Nagar, New Delhi

13	Shri Bagirath Mal	Lohar Bazar, Bhiwani
14	Shri Tulsi Ram	Post Office, Bhiwani, district Hissar
15	Shri Krishan Lal, Kiln Owner	Bhiwani
16	M/s Wazir Chand, Karam Chand	50-R, Model Town, Rohtak
17	M/s Viney Kumar Amar Nand	50-R, Model Town, Rohtak
18	Shri Gaja Nand President, Truck Union	Bhiwani
19	Shri Roshan Lal	Bhiwani
20	Shri Nanha Ram, Shiri Bhagwan Singh	Bhiwani

Seri
al Name of Contractor,
No. Jul Address
Canal Division,
Bhiwani

	M/s Wazir Chand	
1	Karam Chand	50-R, Model Town, Rohtak
2	Shri Mehar Chand	Village Dhani Mao, tehsil Bhiwani, (Hissar)
3	Shri Krishan Lal	Near Halwas Mandir, Bhiwani
4	Dula Ram	Asian Pana, Bhiwani
5	Shri Jagdish Parshad	Asian Pana, Bhiwani
6	Shri Bali Singh Parshotam Dass	Near Murari Cinema, Bhiwani
7	Shri Bal Singh Shiv Charan	Asian Pana, Bhiwani
8	Shri Bali Singh Tulsi Ram	Near Murari Cinema, Bhiwani
9	Shri Bali Singh	Near Murari Cinema, Bhiwani
10	Shri Faquir Chand	C/o M/s Angnamal and Sons, Anaj Mandi Bhiwani
11	Shri Tara Chand	Village and Post Office, Dhangar, tehsil Bhiwani
12	Shri Chuni Lal	Village and Post Office, Kirwar, tehsil Hansi (Hissar)
13	Shri Sant Ram	Village and Post Office, Kirwar, tehsil Hansi (Hissar)

14	Shri Suraj Bhan	Village and Post Office, Kirwar, tehsil Hansi (Hissar)
15	Shri Shyam Kalyan "Co-op. Society	Village, Shayam, Kalan, Post Office Budhar district Mohindergarh
16	M/s Bhagirth Mal Pawan Kumar	Bichla Bazar, Bhiwani
17	Shri Amrit Lal	Village, Dhangar, Tehsil, Bhiwani
18	Shri Uma Datt	Raghu Majra, New Subzi Mandi, Patiala
19	Shri Lilu Ram, son of Ratti Ram	Near Murari Cinema, Bhiwani
20	Shri Sant Ram	Near Murari Cinema, Bhiwani
21	Shri Om Parkash	Bhawanigarh, district Sangrur
22	Shri Randhir Kumar	Raghu Majra, New Sabzi Mandi, Patiala
23	Shri Sarup Singh, son of Khem Rai	Village Naigal, tehsil Dadri, district Mohindergarh
24	Shri Ramel Dass, son of Shri Harnam Dass	Near Murari Cinema, Bhiwani
25	Shri Sukh Ram	C/o Chaman Lal Shopkeeper, Village & Post Office Nirana, tehsil, Panipat, Karnal
26	Shri Debi Singh,	Paluwas-Bhiwani

- B.K.O.
- 27 Shri Bulki Ram C/o Muni Ram, Shopkeeper, Post
Umrao Singh Office, Lohani, tehsil Bhiwani
- 28 Truck Union,
Bhiwani Bhiwani
- 29 Shri Ghansham C/o Azad Bharat Transport Co.,
Dass, Kadia Bhiwani
- 30 Shri Jai Paul Singh
B.K.O. Palluwas, Bhiwani
- 31 Shri Kidar Nath,
son of Sohan Lal C/o Railway Goods Office, Bhiwani
- 32 Shri Ram Kumar
Bhatia Government Contractor, Bhiwani
- 33 Shri Rameshwar
Dass Government Contractor, Bhiwani
- 34 Shri Brij Paul Singh
& Co., B.K.O., Bhiwani
- 35 Shri Payara Lal Hansi Road, Bhiwani
- 36 Shri Ramji Dass C/o Sukh Ram Contractor C/o Chaman
Amin Lal Lal Shopkeeper, Village and Post
Office, Nirana, tehsil Panipat
- 37 Deep Chand Near New Bus Stand, Bhiwani

Supply of Old Hybrid Bajra Seed

***821. Chaudhri Hari Singh Saini :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that for the present crop the farmers of Hansi Block have been supplied unproductive Hybrid Bajra Seed meant for the year 1968-69 ; if so, the reasons therefor ?

Agriculture Minister (Shri Bhajan Lal) : Part (i) No. Part (ii) **D** Des not arise.

Reply **to Starred Question No. 985 has not been** received.

Opening of Police Training Centre in Haryana

***869. Shri Randhir Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state whether there is any pronosal under the consideration of the Government to start its own Police Training School or Centre in Haryana State beside the Police Training Centre at Phillaur (Punjab); if so, the peiodc within which the proposal is likely to materialize ?

Home Minister (Shri K. L. Poswal) No.

Construction of Primary Health Centre at Mohindergarh District

***915. Rao Birender Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Goverment to construct Primary Health Centre in

Mohindergarh District ; if so, t he total amount of

expenditure likely to be incurred a ereon ?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) : Yes. An amount of Rs. 3,34,800 has been sanctioned **by** Government for the construction' of Primary Health Centre, Sehlog, District Mohindergarh.

Construction of Jagadhri Kalanaur Road

***935. Dr. Malik Chand Gambhir** : Will the Minister for Public Woiks be pleased to state the date when the construction of road from Jagadhri to Kalanaur via Fatehpur and Kaith Mandi was started together with the time within which it is likely to be completed ?

Public Works Minister (Shri Ran Singh) : The construction of road from Jagadhri to Kalanaur via Fatehpur and Kaith Mandi was started in October, 1968 and it is likely to be completed by June, 1971 subject to level crossing on Railway line being provided by the Railway authorities in time.

Instructions to Buy National Herald instead of Tribune

***801. Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has issued any instructions to its offices to buy National Herald instead of Tribune; if so, reasons therefor ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) , No.

Flow of Ghaggar River

***825. Chaudhri Om Parkash** : Will the Minister for

Irrigation and Power be pleased to state

(a) the quantity of water (in cusecs) which flows at Ottu Head in Ghaggar River during the month of July, August and September;

(b) the steps, if any, taken by the Government for properly utilizing this water ; and

(c) whether there is any plan to pump out water from the tubewells near Chandpur syphon of Bhakra Canal and put the water in the Bhakra Canal ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : (a) The quantity of water in cusecs which is released from Ottu weir during the months of July, August and September is dependent upon the rains. in the hilly areas. The released **D/S** of Ottu weir are made after feeding the off-taking canals Northern and Southern Ghaggar canal, Sheranwali Parallel Channel, Kasaba Minor, Manela minor and some direct outlets. Such releases in past three years were given below

Month	1967	1968	1969
	Cs	Cs	Cs
July	87,279	139,946	37,479
August	143,990	251,872	77,574
September	158,682	19,398	19,774

(b) The waters of river Ghaggar at Ottu are utilized by running full supply the Northern Ghaggar Canal, the Southern Ghaggar Canal, the Sheranwali Parallel Channel, Kasaba Minor, Mangla minor and some direct outlets.

(c) For the present there is no plan to pump out water from Ghaggar near Chandpur syphon of Bhakra Canal and put the same in the Bhakra Canal. However, the same is under investigation.

Rest Houses or Circuit Houses taken on Rent

***808. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the number of Rest Houses and Circuit Houses which have at present been taken on rent by the Government togetherwith the amount of annual rent payable therefor and the justification thereof ?

Public Works Minister (Shri Ran Singh) : Only one Rest House building in Sector 19-B, Chandigarh has at present been taken on **rent**. Its-rent has been assessed at Rs 999 P.M. which works out to **annual** rent of Rs. 11,988. Since Chandigarh is the seat of Haryana Government, a number of officers keep on coming to Chandigarh and in the absence of any **Rest** House they were being put to great inconvenience. Hence the necessity of providing a Rest House arose.

Another building in Sector 10-A at Chandigarh has been taken on hire and is being used as State Guest House. Its rent **is** Rs, 1,200 which works out to annual rent of Rs. 14,400. Haryana Government did not have any State Guest House at Chandigarh. Since a number of V. I. Ps. and other important dignitaries who have to deal with Haryana

Government visit Chandigarh, the necessity of hiring such a building was obvious.

Unallotted Evacuee Land

***886. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) whether there is any unallotted evacuee land in village Gumthala Rao in Thanaser Tehsil of Karnal. District ;

(b) whether any such land is being cultivated by the persons' of this village belonging to Scheduled Castes ;

(c) whether the Person referred to in part (b) above, have made any representation for the transfer of land to them at Reserve price ; if so, the action taken thereon :

(d) whether the land referred to in part (a) above or any Dart thereof has been put to open auction ; if so, to whom together with the price thereof and the reasons, if any, for not nutting the said land to restricted auction ; and

(e) whether any members of scheduled castes of the village referred to in part (a) above or any other village rpresented against the open auction to the Government?

Revenue Minister (Shri Neki Ram) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No.

(d) Yes. 45 acres of land was nut to restricted

auctions on three occasions but no Harijan offered any bid. Consequently the land was sold in open auctions to non-Harijans in 9 lots for Rs. 55,910.

(e) No.

Purchase of Electric Poles

***814. Shrimati Chandravati :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :-

(a) whether any new electric poles were purchased during the year 1969-70 ; if so, the name and address of the firms which supplied the said poles ; and

(b) whether any firm delayed execution of order for the supply of poles referred to in part (a) above ; if so, the name and address of such firm and the action , if any. taken against it ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : (a) and (b) The requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes. The names and addresses of the firms which supplied the poles are as under ;-

1. M/s Hindustan Housing Factory, Ltd.,
Jangpura, New Delhi-14.

2. M/s Haryana Structural Engineering Co.,
2113, Sector 15/c, Chandigarh.

3. M/s R.N. Chanaker and Co., M-55, Opposite Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.
4. M/s Hindustan Prestressed Concrete, Structures 8-C, Asaf Ali Roam, New Delhi-..
5. M/s B.N. Bhasker and Sons, Post Office, Ishwar Nagar, New Delhi-1.
6. M/s Jai Hind Investment and Industries (P) Ltd., 8, Doctor's Lane, Near Gole Market, New Delhi.
7. M/s Ukay Builders Pvt. Ltd., Engineers, and Contractors, A-1/46, Safadarjang Enclave, New Delhi-16.
8. M/s Cement Fabrics (India) 188, Industrial Area, Chandigarh.
9. M/s Pre-stressed Construction Corporation, 11-3H Canal Circular Road, Calcutta-4.

(b) The firms mentioned at serial numbers 1,2, 3, 5, 6, 7, 8 and 9 delayed supplies owing to difficulties of raw material and the firms, have been given extension of time for making the supplies.

Setting up of Police Station at Hansi

***822. Chaudhry Hari Singh Saini :** Will the Minister for Home be pleased to state :

(a) whether any criteria has been laid down for setting up Police Stations in the State ; and

(b) whether Hansi town satisfies the criteria

referred to in part

(a) above, if any, laid, if so, the reasons for not setting up a Police Station at Hansi so far ?

Home Minister (Shri K. L. Poswal) : (a) Yes.—

(b) Yes. The question of setting up a separate Police Station for Hansi town is under consideration.

POSTING OF DEPUTY COMMISSIONERS IN THE STATE

***870. Shri Randhir Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the criteria, if any, laid down for the appointment of Deputy Commissioners in the State ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : हरियाणा राज्य में उपायुक्तों के सभी पद आई. ए. एस. के संवर्ग के पद हैं । आई. ए. एस. (संवर्ग) नियम, 1954 के आधार पर प्रन्तेक संवर्ग पद आई. ए. एस. संवर्ग अधिकारी द्वारा ही भरा जाता हूँ । किन्तु यदि कोई उपायुक्त आई. ए. एस. संवर्ग अधिकारी उपलब्ध न हो तो राज्य सिविल सर्विस का वह अधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो सैलेक्ट लिस्ट में हो । राज्य सरकार में इस समय उपायुक्तों के सारे पदों पर आई. ए. एस. संवर्ग के अधिकारी लगे हैं ।

Boring Rigs

***916. Rao Birender Singh and Shri Daya Krishan :**

Will the Minister for Agriculture be pleased to state :

(a) the number of boring rigs working at present in the State to explore underground water through trial bores ; and

(b) the area, number of villages with names selected for operation by each rig during the current year ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (ए) शून्य ।

(बी) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Construction of Bus Stop at Jagadhri

***936. Dr. Malik Chand Gambhir :** Will the Minister for Transport be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus stop at Jagadhri ; and

whether any land has been acquired for the said bus stop ; if so, the time within which the construction there is likely to be completed together with the amount of expenditure likely to be incurred thereon ?

Transport Minister (Shri Mahabir Singh) : (a) Yes.

(b) A plot of land measuring 20 Kanals and 9 marlas for bus stand at Jagadhri is under acquisition and Notification under section 6 of the Land Acquisition Act was issued on 22nd October, 1969. The award of the Land Acquisition Officer

is expected to be announced within a month. On receipt of the award, the compensation for the land will be paid and possession of the land will be taken. Efforts will be made to construct the bus stand in about two years' time. The Estimates of expenditure likely to be incurred will be prepared after the building plans are ready.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS Furniture
purchased for P. W. D. Rest Houses

350. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Public Works be pleased to state :

(a) the number of P, W. D. Rest Houses, if any, for which the new furniture was purchased in the year 1968 ;

(b) whether any carpets, were also purchased for the Rest Houses referred to in part (a) above ; if so, whether such carpets were woollen or cotton togetherwith the price thereof ;

(c) the name and location of the shop from where the said carpets were purchased together with themethod adopted for making the said purchase ;

(d) the total expenditure incurred on each of the above mentioned Rest Houses ;and

(e) whether the said Rest Houses are air-conditioned ; if so, the make of the air conditioners and the method adopted for the purchase thereof together with the name and full address of the shop from where these were purchased?

(f) **Public Works Minister** (Shri Ran. Singh) : (a)
Nine.

(b, c, d & e) A statement is laid on the Table of the
House.

STATEMENT

Name of the Rest House	Whether the carpets were woollen or cotton and the price thereof	Shop from where purchased	Method of making the purchase	Total Expenditure incurred on furniture at each Rest House
1	2	3	4	5
1. P.W.D. Rest House at Karnal	Woollen ; Rs. 1,105	Gupta Jee, 28B Cannaught Place, New Delhi	Against sanctioned estimate after inviting quotations	Rs . 2,923

2,	P.W.D. Rest House at Pundri	No Carpet purchased			960
3.	P.W.D. Rest House at Shahabad	Ditto			306
4.	Civil Rest House at Jagadhri	Ditto			1,000
5.	Beam ore House No. II (Rest House) at Simla	Woollen ; Rs 24,746.25	M/s Bharat Carpet Manufacturer, Panipat	Through Purchase Committee of Raj Bhawan appointed by the Government	36,095
6.	P.W.D. Inspection Bungalow, Hansi	No Carpet purchased			812

7.	P.W.D. Rest House at Narnaul	Woollen ; Rs, 1,722	M/s Guptajee 28B, Cannaught Place, New Delhi, Rs. 539 and M/s. Kailash Carpet Co., New Delhi Rs. 1,183	Against sanctioned estimate after inviting quotations	5,173
8.	P.W.D. Rest House at Dadri	No carpet			2,324
9.	P.W.D. Rest House at Mohindergarh	Ditto			1,360

Name of Rest House	Whether Air- conditioned or not	Make of Airconditioner and the method of making the purchase	Shop from where pur-chased
1	2	3	4
1 . P.W.D. Rest House at Karnal	Air conditioned	Fedders L Loyd ; through DGS &D. rate contract	Punj House, Cannaught Place, New Delhi (Opposite Superbazar)
2 . P.W.D. Rest House at Pundri	No		
3 . P.W.D. Rest House at Shahabad	No		
4 . Civil Rest House at Jagadhri	No		
5 . Benmore House No. II (Rest House) at Simla	No		

6 . P.W.D. Inspection Bungalow,
Hansi

7 . P.W.D. Rest House at Narnaul Air conditioned Fedders L Loyd ;
through DGS &D M/s Lloyd Electrical
rate contract Engineering and Cor-
poration No. 13 Can-
naught Circus, New
Delhi

8 . P.W.D. Rest House at Dadri Ditto Ditto Ditto

9 . P.W,D. Rest House at No
Mohindergarh

Furniture Purchased for Irrigation Rest Houses

351 Shrimati Chandravati : Will the Minister for Irrigation **and Power** be pleased to state—

(a) the number of Irrigation Rest Houses, if any, for which the new furniture was purchased in the year 1968 ;

(b) whether any carpets were also purchased for the Rest Houses referred to in part (a) above if so, whether such carpets were woollen or cotton together with the price thereof ;

(c) the name and location of the shop from where the said carpets were purchased together with the method adopted for making the said purchase ;

(d) the total expenditure incurred on each of the above-mentioned Rest Houses ; and

(e) whether the said Rest Houses are air-conditioned, if so, the make of the Air Conditioners and the method adopted for the purchase thereof together with the name and full address of the shop from where these were purchased ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari

Gaur) : (a) Yes.

(b) Yes, Woollen carpets costing Rs 1,024.19 and Druggets of the value of Rs 441 were purchased.

(c) M/s International Traders, 1604, Sector 18-D, Chandigarh and Shop-cum-Office, 77, Sector 17-C,

Chandigarh on Rate Contract basis.

(d) (1) Delhi Canal Rest House	Rs 673.35
(2) Hissar Canal Rest House	360.00
(3) Chimmu Canal Rest House	441 .00
(4) Ambala Canal Rest House	3,202 .00
(5) Jhansa Canal Rest House	171 .00
(6) Narwana Canal Rest House	1,744 .00
(7) Bhiwani Canal Rest House	497 .49
Total	7,088 .84

(e) Only two. :

(1) Delhi Canal Rest House.—Belaire Make from M/s R. C. Durant and Company Connaught Circus, New Delhi. Firm holds Rate Contract ;

(2) Hissar Canal Rest House.—Fedders Lloyd, make from M/s Llyod Electric and Engineering Co. Ring House M-13, Cannaught Circus, New Delhi on rate Contract Basis

through the Controller of Stores.

(d) Yes ; yes.

(e) Yes ; both restricted and open auctions in Sewani Qanungoi Circle had been stayed in May, 1968 because it came to the notice of Government that a large number of tenants—both Harijans and others. though in continuous cultivating possession of rural evacuee lands since kharif, 1960 or earlier could not apply for the transfer of the land under their tenancy due to ignorance or otherwise.

Construction of Roads in Jind District

354. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the period within which the following roads are likely to be completed :-

- (i) Jind to Safidon ;
- (ii) Uchana to Khari via Bhongra Budan ;
- (iii) Jind-Patiala Road to Karsindu ;
- (iv) Jind to Sangat Pura
- (v) Jind to Julani ;
- (vi) Jind to Nirjin ;
- (vii) Jind to Habetpar and Khokri ?

Public Works Minister (Shri Ran Singh) : (i) Upto Village Jamni by March, 1971 and upto Safidon by March,

1972.

(ii) By December, 1972 subject to availability of funds.

(iii) By December, 1972 subject to availability of funds.

(iv) By December, 1972 subject to availability of funds.

(v), (vi) (vii) By June, 1972 subject to funds being deposited by the Market Committees in time.

**Electrification of Villages in Jind Assembly
Constituency**

355. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of villages in Jind Assembly Constituency which remain to be electrified ; and

(b) the period within which the villages, referred to in part (a) above, are likely to be electrified ?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari
Gaur) :

(a) Serial Village

No.

1 Jitgarh

2 Intal Khurd

3	Kheri Jawan
4	Karkheri
5	Teg Bahadur
6	Amarheri
7	Khera Ganda Wala
8	Mohangarh
9	Bhonsla
10	Kalta
11	Rohja Khera
12	Bir Khadalwa
13	Sudkain Khurd
14	Khapran
15	Kheri Masadain

These villages are likely to be electrified by 26th
January.

1971.

Supply of Hygienic Drinking Water

356. Shri Daya Krishan : Will the Minister for
Social Welfare be pleased to state—

(a) the period within which hygienic drinking
water is likely to be supplied to every village and town of

Haryana ;

(b) the total number of villages in Jind Constituency where hygienic drinking water is not available ;

(c) the period within which villages, referred to in part (b) above, are likely to be provided with hygienic drinking water ;1

(d) whether water-supply scheme in Sangat Tura, Daryawali, Mataur is working properly, if not the reasons therefor together with the period within which the schemes, referred to in part (d) above, are likely to work properly ;

(e) the period within which water-supply schemes in Uchana and Pandhu Pindara are likely to be completed ; and

(f) whether it is a fact that care is not being taken with regard to the supply of drinking water in Jind Constituency?

Social Welfare Minister (Shri Prabhu Singh) (a)
about 30 years.

(b) 52 villages.

(c) 30 years.

(d) In village Sangat Pura there is a low cost scheme which is working fairly satisfactory. In case of village Daryawala, the water-supply scheme is working satisfactorily. As regards village Mataur, the water-supply has not yet been

commissioned and may take another 3 to 4 months for completion.

(e) Part funds have been allocated during the current year and depending upon the beneficiary share, the water-supply in Uchana and Pandhu Pindara shall 'be completed within a period of 2 years from the date of deposit of beneficiary share;

(f) No.

Posting of T. B. Specialist at Jind

357. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether the T. B. Clinic at Jind is provided with a T.B. Specialist ;

(b) if not ; the period within which a specialist is likely to be provided therefor ;

(c) whether the Government is considering to provide a Surgeon of M. S. grade in the Hospital referred to in part (a); and

(d) if so, the period within which the same would be provided ?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) : (a) No.

(b) Orders for the posting of a doctor who possesses the qualification of M. D. have been issued and he is likely to join soon.

(c) No.

(d) Question does not arise.

**Construction of Building for Police Station at
Jind**

358. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the progress made so far in the construction of building for Police Station and for Police Lines at Jind ;

to Haryana and having the necessary technical

experience, from the Printing and Stationery Department, Chandigarh , if so, the period within which the services of such employees are likely to be obtained and if not, the reasons therefor ?

Labour Minister (Shri Harpal Singh) : (a) All branches (and stores) of the Printing and Stationery Department of Chandigarh Administration, except the Printing Press, have already been divided in June, 1968. **The** Government of India, however, has not agreed to our request to divide the Printing Press since it is to continue to provide existing facilities to the successor States in accordance with para 77 (1) of the Punjab Reorganisation Act, 1966.

(b) The question does not arise because the clerical staff of the Printing Press has not been allocated to Haryana.

(c) The Government of India has not agreed to the division of the machinery of the Press since it is to continue to provide existing facilities to the successor States in accordance with para 77 (1) of the Punjab Re-organisation Act, 1966.

(d) Yes.

The Printing and Stationery Department, Chandigarh were requested on 6th June, 1970 to forward applications of their employees willing to join the Haryana Government Press, as a result of which applications of 80 employees have been received on 14th August, 1970. Selection will be made keeping in view the experience, qualification and suitability against available posts and the Chandigarh Administration will be asked to relieve them as soon as possible.

First Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker : I have to report the Time Table fixed by the Business Advisory Committee in regard to the various Business.

The Committee met at 10.00 a.m. on the 25th August, 1970.

Shri Banarsi Dass Gupta (Bhiwani) : I want to move an amendment to the Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Let me first complete.

The Committee, after some discussion,

recommended that on the 25th August, 1970, the business be transacted as follows

- (1) Questions Hour ;
- (2) Obituary References.

2. References be also made to the death of the late-

- (i) Shri Basant Singh, ex-M.L.A. (Punjab);
- (ii) Rai Hari Chand, ex-M.L.A., (Punjab).

alongwith the persons/dignitaries already appearing in the List of Business for today, the 25th August, 1970, under the heading "Obituary References".

3. After the Obituary References, the House shall adjourn for one hour as a mark of respect to the memory of the deceased, whereafter the House shall take up the various items, commencing from item "III. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE", entered in the List of Business for the 25th August, 1970.

4. The legislative business, if any left over, will be taken up on some subsequent day.'

5. On the 26th August, 1970, the business be taken up as under-

- (1) Questions Hour.
- (2) Discussion and voting on Supplementary Estimates 1970-71 and Excess Demands 1966-67 and 1967-68.

6. Non-official Business be transacted on the 27th
August,

1970.

7. On the 28th August, 1970, the business be taken
up as under—

(1) Questions Hour.

(2) Appropriation Bill on Supplementary
Estimates, 1970-71.

(3) Appropriation Bill on Excess Demands over
Grants, 1966-67.

(4) Appropriation Bill on Excess Demands over
grants, 1967-68.

(5) Bills.

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, आईटम न० 6 पर मेरी एक अमेण्डमेंट है 27 तारीख को नान आफिशीयल डे है उसको आफिशीयल डे में कनवर्ट किया जाए और मैं चाहता हूँ कि यह मामला कमेटी को रेफर बैक किया जाये ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि जो अभी अमेण्डमेंट मूव की गई है और जिस तरह से रिपोर्ट आपने हाउस में पढ़ी है सरकार उस में कुछ संशोधन करना चाहती है उस पर हमें बहुत सख्त आपत्ति है । 6 महीने का आज आखरी दिन है (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ता : आज तो आखरी दिन नहीं है

।

श्री मंगल सैन : सवेरे हो जाएगा । स्पीकर साहब, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह हरियाणा की जनता के साथ बड़ा भारी धक्का है, स्टेट लिस्ट में 66 सबजैक्ट हैं, कनकरेन्ट लिस्ट हमारे पास है । हमने बहुत सी बातें पूछनी हैं । हमें हर बात का अधिकार है । हमने कुछ प्रश्न किये और उन के उत्तरों के बारे में कहा गया है कि 28 तारीख को जवाब देंगे । अब बनारसी दास जी के द्वारा एक संशोधन दे दिया गया है । मैं कहना चाहता हूँ कि इस में कुछ साजिश है (शोर) ।

स्पीकर साहब, हरियाणा के अवाम के साथ, जनता के चुने हुए मैम्बरों के साथ और जम्हूरियत के साथ यह बड़ा भारी धक्का होगा ।

गृह मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल) : तो हम क्या नामीनेटिड हैं भाई साहब ।

श्री मंगल सैन : पोसवाल साहब फिर आप डरते क्यों हैं? नामीनेटिड आप भी नहीं और नामीनेटिड हम भी नहीं हैं, हम भी आप के दोस्तों को हरा कर आए हुए हैं और आप के साथ जो गई हुई मंडली है वे यहां से ही गये हुए हैं, अगर वे ईमानदारी के साथ रहते तो हम आज वहां होते और आप यहां पर होते । तो स्पीकर साहब मेरी सबमिशन यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी

की रिपोर्ट में संशोधन नहीं होना चाहिये क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जो कि हम ने प्राईवेट बिजनेस के दिन हाउस में लाने हैं ।

एक आवाज : डाक्टर साहब नेक काम होने दो ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब इनको चाहिये था कि सेशन महीने का या कम से कम तीन हफते का बुलाते (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसीलाल) : आप अगर समझते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ वोट पास कर सकते हैं तो फिर ऐसा कर लें क्योंकि इस तरह करने से एक मिनिट में ही छुट्टी हो सकती है ।

समाज कत्लाण मंत्री (श्री प्रभु सिंह) : डाक्टर साहब को यह बात नहीं सुनाई देती ।

श्री मंगल सैन : सूबेदार साहब कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं, लेकिन उनको शाम याद आ रही है जब उनको बिल्कुल ही सुनना बन्द हो जाता है । स्पीकर साहब, 1957 में मुझे पहली बार सदन में आने का मौका मिला, उस वक्त कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी और मुख्य मंत्री के साथ हमारा बहुत विरोध चलता था लेकिन उस के बावजूद भी दो दो महीने तक सेशन चलता था और बड़ी दलेरी के साथ विरोधियों को सुना जाता था और पंजाब के मुख्य मंत्री साहब सब का जवाब देते थे । इस लिये मैं कहता हूँ कि अगर श्री बंसी लाल जी में इतनी ताकत है तो वह जरा खुले हाथ सेशन होने दें । यह चार दिन का सेशन बड़ा थोड़ा है । तो स्पीकर साहब मैं श्री बनारसी दास जी की अमैडमैट को अपोज

करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसे टर्नडाउन कर देना चाहिए
।

Mr. Speaker : Let us first move the motion then only we can take up what Mr. Banarsi Dass wants,.... (Interruptions).

Shri Bansi Lal If they have an amendment they can also move
it.

Mr. Speaker : But let the motion be moved first then that stage will come. So I think one of the Ministers can move this motion then we shall see the amendment.

One Voice : Our point is to send it back.

Mr. Speaker : Yes, when the motion is moved. Then a member can move an amendment. That will be passed by majority.

Rao Birender Singh : Sir, you have to nominate a Member to present this Report.

Mr. Speaker: The point is that this is to be moved by one of the members and then any member can move any amendment. That is the legal position. Then the House decides whether the report is accepted or not.

So according to the normal procedure the Finance Minister may move the motion.

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : स्पीकर साहब, आप जैसे कहेंगे मैं करूंगी लेकिन चूंकि एक अमैडमैट आ चुकी है तो बेहतर यह होगा कि इसको मूव करने के बगैर ही रैफर—बैक कर दिया जाए ।

Shri Bansi Lal : It should be referred back. There is nothing wrong in it.

Rao Birender Singh : Rules provide that the Report of the Business Advisory Committee shall be placed before the House by a Member of the Committee chosen by the Speaker and after that there can be an amendment. Now they are feeling' embarrassed. The honourable Chief Minister, representing his party, was there

Shri Bansi Lal : I have given notice of a motion.. (Interruptions).

Rao Birender Singh : You cannot.

Shri Bansi Lal : I can.

Rao Birender Singh : No member of that Committee can bring

an amendment (Interruptions).

Malik Mukhtiar Singh : You cannot speak. You are a

member of that Committee (Interruptions and Noise)

श्री बंसी लाल : लीडर आफ दी अपोजीशन जो यह कह रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले के खिलाफ कोई अमैडमेंट नहीं लाई जा सकती मैं यहां पर उस सिलसिले में बताना चाहता हूं कि उस मीटिंग में नान-आफिशियल-डे के बारे में कुछ भी नहीं तय हुआ था । There is no question of any amendment now from our point of view. it was not referred to in the meeting at all.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, जब हाउस में कोई मोशन ही नहीं है तो अमैडमेंट किस बात की पेश की जा रही है ।

Shri Bansi Lal : I have a right to move the motion for converting non-official day into official day. स्पीकर साहब जब हाउस में कोई मोशन ही नहीं है तो अमैडमेंट किस बात की पेश की जा रही है । But the same thing is there

Mr. Speaker : The Secretary was there in the meeting. There was full discussion and as per understanding there he prepared this Report immediately after coming from the meeting. He got that notice given by the Leader of the House that they want to change Thursday into official day. As you know under the rules the Leader of the House can do so. Nobody can stop them. We can make a request to them if they want to accept it. They can do so. That is the position.

Rao Birender Singh : On a point of order, Sir. All these things were discussed in the meeting of the Business

Advisory Committee this morning. It is wrong on the part of the Chief Minister to say that this point was not raised. In fact it was raised. There was a long discussion for business on non-official day. If you remember the Secretary had pointed out that there were as many as five non-official resolutions. And I also mentioned this. Then we had decided that this will be discussed on non-official day.

Shri Bansi Lal : No, it was not decided. It is wrong. According to my version this report should not have come today. It should come tomorrow after the final meeting.

Mr. Speaker : You have to move whatever was decided today and naturally anything decided after that will come tomorrow. It appears to me that there is some misunderstanding about the official and non-official day. As you know, we have got the notice from the Leader of the House that they want to convert the non-official day into official day. That is the position.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह तो आफ्टर थौट है । (विधन) स्पीकर साहब, पहले आप यह फैसला कर दीजिए कि जब मैं बोलूँ तो ? क्या दूसरे भी उसी वक्त साथ बोल सकते हैं । अब हाउस की प्रैक्टिस बन चुकी है कि जब मैं बोल तो चीफ मिनिस्टर साहब जरूर साथ बोलेंगे ताकि मैं चुप हो जाऊं ।

My submission is that the report of the meeting of the Advisory Committee, which was held today, has been prepared. It is now to be moved before the House. But, it appears that the Government is refusing to do so. The only other alternative now left to the Chair is to ask somebody else

to move the report. I am prepared to move it if you like. That report has to be moved before the House. There is no question now to accuse the Assembly staff for any wrong intention or for preparing a wrong report. Whatever they have prepared is final. It has now come before the House. You may, therefore, ask somebody from this side to move the report if the Government is refusing to do so. They can then move an amendment and it will go back to the Business Advisory Committee whose meeting will be held tomorrow morning.

श्री बंसी लाल : आफिशियल या नान-आफिशियल-डे के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई थी सिर्फ आज तक का प्रोग्राम तय हुआ था ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब मैंने आपका इस पर रूलिंग भी चाहा था लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ । बेहतररू होगा अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब को यह बात समझा दें कि इस हाउस का कायदा है कि जब एक मैम्बर लैग्ज पर हो, बोल रहा हो तो कोई दूसरा बगैर स्पीकर की इजाजत के और बगैर किसी प्वायंट आफ आर्डर के बीच में बोल नहीं सकता । उनको चीफ मिनिस्टर बनने के बाद यह अधिकार नहीं हो गया कि जब जी चाहे उठ कर जो चाहें कह दें । तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है कि जो रिपोर्ट विधान सभा सैक्रेटेरियेट ने तैयार की है वह ज्यों की त्यों हाउस में पेश की जाए । अगर कोई अमैडमेंट किसी ने पेश करनी है तो वह रिपोर्ट मूव होने के बाद ही हो सकती है और उसके बाद आप

हाउस की सैसं जान लें । इस लिये अब इसमें और किसी बहस की गुंजायश नहीं है । लेकिन जिस तरह यह करना चाहते हैं वह गलत तरीका है । चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर मौजूद थे, फायनैसं मिनिस्टर साहिबा भी वहां पर थीं जो कि पार्लियामैटरी अफेयर्ज की मंत्री हैं, किसी ने एतराज नहीं किया । इसके बाद ही जो भाई डरे रहते हैं और दूसरों को डराए रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी चांदी इसी बात में बनती है, लाला बनारसी दास गुप्ता जैसों की, जो कहते हैं और डराते हैं कि बिजनिस लम्बा हो जायेगा, सोमवार तक चला जायेगा, मर जायेंगे, उन्होंने बाहर आने पर इनको कहा कि यह तुम क्या कर आये अब भी नान आफिशियल—डे को आफिशियल—डे कर लो । फिर क्या था एकदम से मोशन ले आये और यह साथ' साथ अमैडमेंट ले आये । लेकिन यह डैमोक्रेसी का तरीका नहीं है । डैमोक्रेसी तो कायदे कानून से चलती है लाठी से नहीं चलती है जैसे यह चलाना चाहते हैं । ठीक हूँ कुछ भाई परेशान हैं और दो चार मिनिस्टर बनने की उम्मीद में होंगे लेकिन इस परेशानी का यह मतलब नहीं कि आप सब कायदे कानूनों को पांव तले रौंद दें । तो स्पीकर साहब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप तरीके से काम करवायें ।

Mr. Speaker : I will just clarify one thing. When the Secretary brought this report to me, he said that he had also received a motion for converting the non-official day into an official one. That, I think, was brought before.

Rao Birender Singh : The discussion in the

Business Advisory Committee meeting took place in the morning. That, I think, was at 10 a.m. or about 11 a.m. The Secretary came here at round about 2.00 p.m., which means that between 11 a.m. and 2 p.m. the Government had three hours or so to consider the matter. You cannot say that the motion was in their mind. That, I think, was an after thought.

Mr. Speaker : This was brought to my notice at quarter past twelve or half past twelve.

श्री बंसी लाल : सवा बारह बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद हमने यह दी ।

श्री बंसी लाल : वहां पर आफिशियल या नान-आफिशियल-डे के बारे में कोई डिजीजन नहीं लिया गया था ।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मामला तो बहुत आसान था अगर मुख्य मंत्री जी या वित्त मंत्री महोदया इस रिपोर्ट को पेश कर देते और गुप्ता जी कोई और तो नहीं हैं । जिस पार्टी के वह मुख्य मंत्री हैं उसी पार्टी के वह महा मंत्री हैं । उन्हें इस का सौभाग्य मिल जाता अगर हाउस उनका संशोधन मंजूर कर लेता और इस में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये जब इस में केवल थोड़ी बहुत रैफर-बैक करने की बात है । इसमें हर्ज क्या है अगर गुप्ता जी यह शोभा लेना चाहते हैं और नान-आफिशियल-डे को आफिशियल-डे बनाना चाहते हैं और इसके लिये अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं । वे हमारी पार्टी

के महा मंत्री हैं और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब को एतराज नहीं करना चाहिये था ।

Shri S. P. Jaiswal : Mr. Speaker, Sir, according to Rule 36 of the Rules of Business, a time table decided at the meeting of the Business Advisory Committee, has to be reported by your honour to this House. That has already been done. A report has also been brought before the House. It will now be discussed by the House after you have designated some body to move the motion. From the report, it appears that they have already decided this matter. Now, you have only to designate a member 'o move this report.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि मीटिंग में फाइनल फैसला यह हुआ था कि आज शाम तक का प्रोग्राम तय हुआ है और बाकी का बाद में कल होगा । बाकी बातें मोर और लैस इन्फारमल टाइप की थीं ।

Mr. Speaker : I cannot ask the Secretary how is it so. He brought the information. That was accepted, otherwise he would not have done that.

श्री बंसी लाल : बात यह हुई थी कि कल की बात कल को तय करेंगे ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : जो बिजनैस गवर्नमेंट ने भेजी थी मीटिंग में उसको देखा गया था और उस पर डिसकशन हुई थी लेकिन बाद में जैसा कि स्पीकर साहब, आपको याद होगा और यह रिकार्ड पर भी है कि यह फैसला हुआ था कि आज देखते हैं

कि आज कितने बिल आते हैं बाकी के बारे में कल सुबह फैसला किया जायेगा ।

Mr. Speaker : That was pertaining to the time to be allotted to the various Bills, etc.

Shrimati Om Prabha Jain: But, there was no decision about the non-official day.

Mr. Speaker : Well, this is a matter which could be sorted out in the meeting of the Business Advisory Committee. Someone can move an amendment and we can go back to the Committee tomorrow.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब आप देखें इस में अहम बात यह है कि यह जो हमें मीटिंग की कार्यवाही सरक्यूलेट हुई है इस पर आपके दस्तखत है' और नीचे सैक्रेटरी साहब के हैं । इसका मतलब है कि आपने प्रोसीडिंगज को कनफर्म कर दिया . है । लेकिन अब सवाल यह आ गया कि चीफ मिनिस्टर साहब और फायनैस मिनिस्टर साहिबा इस बात को न मान कर इस को झुटला रहे है' । हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लेकिन आप को जो चेयर में है, स्पीकर है उन को तो नहीं हो सकती । आपने जो इस पर दस्तखत किये वह यह सब देख कर किये । इसका क्या मतलब समझा जाये ।

Mr. Speaker : I think, the best thing would be that instead of discussing this matter here, we should discuss it tomorrow in the Business Advisory Committee meeting. So, let the matter be referred back to the Committee. There is nothing

else to do about it.

Shri Bansi Lal : It may be referred back to the Committee.

Rao Birender Singh : It will only be referred back by the sense of the House. I feel that after no confidence motion has been withdrawn the Chief Minister should not rush through the business. There is a very long list of Questions, say about 600 or so, which will otherwise lapse for want of time. We have got so many things in hand. There is a motion about Chandigarh also. We suggest that let it be a long session. Let us do our duty as legislators, The Government is in a great hurry to run away by converting the non-official day into an official one. They should not run away like this. But, if they want, let them do as they like.

Mr. Speaker : In any case, I think it can be moved that it be referred back to the Business Advisory Committee.

चौधरी रणबीर सिंह : सदन के सामने भी तो कोई न कोई चीज होनी चाहिये । पहले आप मोशन मूव करें फिर उसके ऊपर रैफर-बैक की मोशन आ सकती है कि इस मोशन को रैफर-बैक किया जाये । (श्री बनारसी दास गुप्ता की तरफ से विधन) पहले जो सदन की प्रापर्टी है उसको मूव करके फिर रैफर-बैक का प्रस्ताव लाए । जब कि लीडर आफ दी हाउस यह महसूस करते हैं कि यह रैफर-बैक होनी चाहिये क्योंकि इससे सदन को खतरा है । अगर खतरा है तो उस को दूर करने के

लिये कोई कायदा-कानून होना चाहिये और यह हाउस के अनुसार चलना चाहिये ।

Mr. Speaker : Then how will you sort it out ?

Shrimati Om Prabha, Jain : Sir, it has not been moved. Therefore, it is your discretion to refer it back. The Speaker has read out the Report of the Business Advisory Committee and he has every right to say that this is referred back.

Shri S.P. Jaiswal : Sir, Rule 36 of the Rules of Procedure and Conduct of Business is very clear, according to which the matter has to be reported to the House by the Hon. Speaker. It has to be followed immediately by what is laid down in Rule 37, viz.-37. As soon as may be after the report has been made to the House a motion may be moved by a Member of the Committee designated by the Speaker "that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee in regard to such and such Bill or Bills or other Government Business"

Therefore, it is for you, the Hon. Speaker, to designate any Member, who may move the motion for the acceptance of the Report.

Mr. Speaker: I think this motion can be moved and then someone can say that this may be referred back to the Committee. (Interruptions and noise). Why are we making simple things, complicated one.

Rao Birender Singh : I have suggested a way where

all the matters can be sorted out. But, you are depending upon them to move it and they are refusing. They are going back of their commitment. (Interruptions and noise). They are going tack on their earlier commitment. (Repeated noise and interruptions)

Shri Bansi Lal : What the Leader of the Opposition is saying is wrong. He himself wants to go back. He is saying wrong things on the Floor of the House. This decision was taken
(Interruptions and noise)

Mr. Speaker : We will discuss it thread bare in the Business Advisory Committee. It should be discussed there itself. It is much better to discuss it there rather than to discuss it here. It makes no difference to me whether they move it or you move it. Then amendment can come that this matter be referred back for further consideration to the Business Advisory Committee. (Interruptions).

Shri S.P. Jaiswal : I think you have designated the Leader of the Opposition to move it.

Mr. Speaker : So far I have not done it. So, what is **the** solution ?

Rao Birender Singh : Please designate a Member of the Committee to move the motion.

Mr. Speaker : But I think, it is better if we sort it out.

Shri S.P. Jaiswal : How can it be sorted out against the Rules? The Rules provide for a specific action to be taken.

You designated those people but they refused to move. Then you better designate some one from this side. (Interruptions.)

Development Minister (Chaudhri Sarup Singh): It can be done on a suggestion by the Speaker just like in the question time.

Mr. Speaker : No, it is a different one.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में तो आपका ही फैसला मान्य होना चाहिये, चौधरी सरूप सिंह का फैसला नहीं होना चाहिये ।

Shri Bansi Lal : Sir, the powers are the same, as suggested by Chaudhri Sarup Singh, and it could be done as was done during question-hour.

Mr. Speaker : This is not so. While standing and saying something, please quote the Rule also. After all, we are all, responsible people. If you could tell me a way, I will be the happiest man.

Chaudhri Sarup Singh : This is the similar position as in the case of question earlier.

Mr. Speaker : No, that is not. That was pertaining to a question.

Chaudhri Sarup Singh : The Speaker has got the authority of making a suggestion.

Chaudhri Chand Ram : There is a specific Rule on the subject.

Mr. Speaker : What they said is their position has become

awkward because one of their Members has moved
(Interruptions and noise)an amendment before the
motion

was moved. So, the Finance Minister is little
hesitant to move the motion. Therefore, the Leader of the
Opposition can move the motion.

Rao Birender Singh : This is an unnecessary
trouble. If they move the motion there would be nothing
wrong. Because tomorrow, before the non-official day, they
can move another motion and say that the non-official day will
be converted into an official day. There was nothing to stop
them. But they created this trouble. **They** could do it even
tomorrow.

Now, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations
contained in the First Report of the Business Advisory
Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations
contained in the First Report of the Business Advisory
Committee.

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं बिजनैस
एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में संशोधन पेश करता हूँ कि

27-8-70 के दिन को नान-अफिशियल-डे से आफिशियल-डे में बदल दिया जाये और रिपोर्ट को रैफर-बैंक किया जाये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ वजुहात भी दें कि क्यों ऐसा किया गया है ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the report be referred back to the Business Advisory Committee for further consideration.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं इसकी सख्त मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से डैमोक्रेसी का मजाक न उड़ाया जाए । हमारे भाई पावर में आकर इस किस्म की कार्यवाही करते हैं । जैसा मैंने पहले कहा है कि इस रिपोर्ट को ऐक्सैप्ट कर लिया जाये और फिर मैजोरिटी से इस को खत्म कर सकते हैं । अगर आपकी रिपोर्ट वापिस चली जाती है तो इसके साथ ही बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिकमैडेशन्स भी खत्म हो जाती हैं, इस लिये यह अमेंडमेंट वापिस ले लें । अगर आपको किसी किस्म का खतरा है तो बात दूसरी है । असल बात यह है कि इन्होंने 36 कमरों में मैम्बरों को बन्द करके बाहर से ताला लगाकर उनकी

चाबियां अपनी जेब में डाल रखी हैं (गिन) सारे मैम्बरों को कोठियों पर बन्द किया हुआ है (हंसी)

श्री बंसी लाल : यह गैर जिम्मेदारी की बात है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : सारी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ । आप जाकर देख लीजिये सारे कमरे बन्द मिलेंगे । (हंसी) (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब बन्द नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, सारे मैम्बर यहाँ हाउस में है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इन्होंने सी. आई. डी. का स्टाफ पिछले सेशन से तीन गुना बढ़ा दिया है और हर एक मैम्बर के साथ एक एक पुलिस आफिसर लगाया हुआ है । हर जगह जीना हराम किया हुआ हूँ । मैं तीन दिनों से तलाश कर रहा हूँ, मुझे एक भी कांग्रेसी मैम्बर चंडीगढ़ में नहीं मिला । होस्टल में गया तो एक मैम्बर भी नहीं था । हालांकि कमरे उनके नाम से अलाट हैं । तो हरियाणा में यह हालत हो रही है । इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरीके से ये सरकार चलाना चाहते हैं इससे बेहतर तो यही है कि अगर इनसे सरकार न संभलती हो तो ये छोड़ दें । (हंसी और शोर) ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : कौन संभालने के लिये तैयार है? एक नाम तो हाउस में रख दें ।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस तरह से तो स्पीकर साहब ये कई कम्पलीकेशनज पैदा कर रहे हैं । एक तो इससे हरियाणा की बदनामी है और दूसरे एक घंटे की जो एडजर्नमेंट है वह इससे खत्म हो जाएगी ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं तो हकूमत छोड़ दु परन्तु अफसोस यह है कि मैंने अपने भाई को हकूमत चलाते देख लिया है । ये मेरे से भी नालायक थे । (हंसी)

श्री अध्यक्ष : तो आप भी मानते हैं कि आप नालायक हैं? (हंसी और शोर) ।

श्रीमती शकुन्तला : स्पीकर साहिब, इनकी बात से तो साफ जाहिर है कि ये मानते हैं कि ये नालायक हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि मेरे भाई मेरे से भी नालायक थे ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, यदि राव साहब का सुझाव मान. भी लें और चौधरी बंसी लाल जी गद्दी छोड़ भी दें तो पता तो लगना चाहिये कि इन में से उसे संभालेगा कौन? कोई एक नाम तो ये बता दे? उनकी तरफ तो सभी मुख्य मंजई पदों के उम्मीदवार हैं ।

श्री बंसी लाल : वह तो बनवारी राम जी ने बता दिया है कि पांच कैन्डिडेट हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : लाला बनारसी दास जी शायद आप का नम्बर आ जाए, हिम्मत तो करो । (विघ्न और शोर)

Mr. Speaker : So, let us finish this matter. I think, really it does not matter. If the Leader of the House is keen to convert the non-official day into an official day for which he has already given a notice of a motion, that can always be done, as Rao Sahib said. This report could be adopted and then, by a separate motion, this could be converted into an official day. But, as now the amendment has been given, I can put it to the vote of the House and the matter can go back to the Business Advisory Committee. It makes me no difference. It can go back to the Business Advisory Committee and they can take a decision.

The hon. Member, Shri Syngol, also wanted to move an amendment.

Shri Satya Narain Syngol (Safidon) : I beg to move—

In para 3, for the words "After the Obituary References, the House shall adjourn for one hour" occurring in lines 1-2, the words "After the Obituary References, the House shall adjourn for the remainder of the day" be substituted.

Mr. Speaker : In the references to be made, there is one Major Amir Singh who was a member of this House and who expired after the last session. Previously too, when Shri Roop Lal Mehta expired and the session held, the House adjourned for the whole day. Unluckily, Major Amir Singh who was a supporter of Vishal Haryana Party belonged to the

Opposition and this is a discriminatory action of the Business Advisory Committee. I would, therefore, request the House that the report of the Business Advisory Committee should be amended to the effect that instead of one hour, the House should adjourn for the whole day.

Shri S.P. Jaiswal : I second, the amendment.

Mr. Speaker : Motion moved—

In para 3, for the words "after the Obituary References, the House shall adjourn for one hour, occurring in lines 1-2, the words "After the Obituary References, the House shall adjourn for the remainder of the day" be substituted.

Shri S.P. Jaiswal : The amendment moved by Shri Banarsi Dass Gupta has not been seconded. That is, therefore, out of order. They **should** have seconded it earlier when it was moved.

Shri Bansi Lal : Amendments are never seconded. (Interruptions) शोर मचाने से अगर कुछ होता हो तो और शोर मचा लो । (विघ्न) जयसवाल साहब तो शिमला जाकर वकालत करें । (शोर)

Mr. speaker : Chaudhri Jai Singh Rathi, you want me to quote the Rule. It does not require to be seconded.

चौधरी जय सिंह राठी : वह तो हमें पता था । हम तो इन्हें देख रहे थे । इस छोटी सी बात पर ही ये सारे के सारे इस तरह से घबरा गये कि पता नहीं क्या हो गया ।

Mr. Speaker : Hon. Members, I will now put the amendments to the vote of the House. The first amendment moved by Shri Banarsi Dass Gupta is—

That this Report be referred back to the Business Advisory Committee for further consideration.

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : That can be referred back on a particular question.

Mr. Speaker : The question is with regard to the business to be transacted on other dates i.e. 26th, 27th and 28th. Actually, it applies to the 27th only.

Question is—

That this Report be referred back to the Business Advisory Committee for further consideration, with regard to the business to be transacted on other days, especially on the 27th August, 1970.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, I will put the second amendment moved by Shri Satya Narain Syngol to the vote of the House.

Question is—

In para 3, for the words "After the Obituary References, the House shall adjourn for one hour", occurring in lines 1-2, the words "After the Obituary References, the House shall adjourn for the remainder of the day" be substituted.

In other words, it means, that instead of one hour, the House may adjourn for the remainder of the day or the remainder of the time.

The motion was lost.

Mr. Speaker : So, the Report is referred back to the Business Advisory Committee.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, एक मोशन आफ नो-कांफिडेंस भी तो आई थी । वह भी मूव होनी चाहिए थी ।

Mr. Speaker : They have withdrawn it. We have received it in writing.

श्री बंसी लाल : मगर स्पीकर साहब, अपोजीशन ने फिर तो यह गवर्नमेंट को बदनाम करने की एक टैकटिक्स अपना रखी है कि पहले तो यह नो-कांफिडेंस मोशन भेजते हैं और फिर उसे विदड्रा कर लेते हैं ।

Malik Mukhtiar Singh : How is that being discussed ? Is it before the House ?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं तो चाहता था कि अगर इन्होंने नोटिस दिया था तो उसे मूव भी करते । The Government is keen to discuss it.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर

Mr. Speaker : I have got your point of order. You are right, that is not the property of the House. Therefore, no discussion can take place on that,

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, हम तो इनको लम्बी रस्सी देना चाह रहे हैं ।

श्री बंसी लाल : उसे अपने गले में लटका लो ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अभी अभी यह बात कही कि अगेजीशन वाले बार बार नो-कांफिडेंस मोशन का नोटिस देकर और फिर उसे वापिस लेकर एक तमाशा बना रहे हैं । यह बात गलत है ।' हमारा तो इन पर इल्जाम है । जब हम नो-कांफिडेंस मोशन लाने में सीरियस होते हैं तो सेशन को साइन-डाई करवा कर भाग जाते हैं' । यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं ।

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Call Attention Motion No. 1, given notice of by Shri Mangal Sein, M.L.A., concerning the making of Punjabi in Punjab as a compulsory subject upto B.A. classes and the consequent discontentment against the Haryana Government policy of indifference towards Hindi is disallowed as it is not a matter of urgent public importance.

Shri Mangal Sein : It is a very very urgent matter.

Mr. Speaker : I have given my ruling.

Notice of Call Attention No. 2 given by Shri Mangal

Sein concerning the defective land laws and the policy of the Government and the consequent discontentment among the landless Harijans and backward classes is admitted. The hon. Member may please read his motion.

Shri Mangal Sein (Rohtak) : I draw the attention of the Government that due to the defective land laws and the defective policy regarding land in the State even the legally declared surplus land has been disposed of by the owners. Besides this, thousands of acres of land is lying unutilized with the Government. As a result of this there is a great discontentment amongst the landless peasants, Harijans and backward classes. I want to draw the attention of the Government through this Calling Attention Motion so that the Government may clarify its policy.

राजस्व मंत्री (श्री नेकी राम) : को ई भी तारी ख आप ब ता दीजिए उसी तारीख को मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब आप ही बता दीजिए ।

श्री नेकी राम : बहुत अच्छा जी, मैं 27 तारीख को इसका जवाब दे दूंगा ।

Mr. Speaker : Call Attention Notice No. 3 given notice of by Shri Mangal Sein, M.L.A. regarding the non-purchase of Buses after the nationalisation of Bus Routes and the consequent inconvenience caused to the public is admitted.

The honourable member may please read out his motion.

Shri Mangal Sein (Rohtak) : Sir, I beg to draw the attention of the Government that the Government has not brought any new buses on the roads after the nationalisation of bus routes in the Haryana. State, as a result of which the people are bound to travel by the same limited number of buses. As such every bus while starting carries one and a half times or double the requisite number of passengers. Therefore, the buses, being already overloaded do not stop in the way at the bus stoppages provided by the Government and the people waiting for the buses at such stoppages remain standing there from early in the morning to evening. Thus the public has to face a great difficulty. There is a great resentment in public throughout the State as a result of this mismanagement of the Haryana State Transport Department. I want to draw the attention of the Government through this Call Attention Motion.

Mr. Speaker : The Minister for Transport may please make a statement on it.

परिवहन मंत्री (श्री महाबीर सिंह) : जहां तक बसों का सवाल है, काफी जाने गवर्नमैट ने खरीदी हैं । बाकी सारी बातों के विषय में मैं डिटेल् में 27 तारीख को स्टेटमैन्ट दूंगा ।

PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker : Under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I nominate the following members to serve on the

Panel of Chairmen-

1. Chaudhri Ranbir Singh.
2. Chaudhri Chand Ram.
3. Chaudhri Ishwar Singh.
4. Chaudhri Partap Singh Daulatpur.

ANNOUNCEMENT MADE BY THE SPEAKER
REGARDING COMMITTEE ON PETITIONS

Mr. Speaker : Under rule 293(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions-

1. Shrimati Lekhawati Jain,
Deputy Speaker—Ex-officio Chairman.
2. Chaudhri Partap Singh Daulatpur.
3. Shrimati Lajja Rani.
4. Chaudhri Lal Singh.
5. Shri Bhagwan Dass Sehgal.

Now the Secretary will make an announcement.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a Statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Budget Session, 1970

and assented to by the Governor/President.

STATEMENT

1. The Haryana Appropriation Bill, 1970
2. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1970.
3. The Punjab Legislative Asssembly (Allowances of Members) Haryana Amendment Bill, 1970.
4. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers Bill, 1970.
5. The Punjab Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Haryana Amendment) Bill, 1970.
6. The Haryana Land Revenue (Additional Surcharge) Amendment Bill, 1970.
7. The Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment) Bill, 1970.
8. The Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1970.
9. The Punjab Professions, Trades, Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1970.
10. The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Haryana Amendment Bill, 1970.
11. The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1970.
12. The Haryana Board of School Education

(Amendment) Bill, 1970.

13. The Punjab Instruments (Control of Noises) Haryana Amendment Bill, 1970.

14. The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1970.

15. The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1970.

16. The Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill, 1970.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr. Speaker : I have to inform the House with the deepest sorrow that Major Amir Singh a member of this Sabha, representing Badhra Constituency of Mohindergarh District died on the 24th March, 1970.

OBITUARY REFERENCE

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : स्पीकर साहब, हमारे पिछले विधान सभा के अधिवेशन के समाप्त होने के बाद हमारे बीच से कुछ हमारे बड़े अच्छे सहयोगी इस संसार से चल बसे हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम मेजर अमीर सिंह जी का है । मेजर अमीर सिंह जी का स्वर्गवास 24 मार्च, 1970 को हुआ । मेजर अमीर सिंह हरियाणा के उन सपूतों में से थे जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी अपने इलाके, अपने प्रान्त और अपने देश की सेवा करने में लगा दी ।

राजनीति में दाखिल होने से पहले मेजर साहब फौज में मेजर के पद पर थे । उन्होंने बैहैसियत एक फौजी अफसर के देश की बहुत सेवा की । फौज से आने के बाद वे राजनीति में दाखिल हुए, जब वे राजनीति में दाखिल हुए तो सब से पहले वे पैप्सू विधान सभा के सदस्य बने और वहां पर वे उप-मंत्री बने और उन्होंने उस टाईम पर अपने इलाके और अपने प्रान्त की बहुत बड़ी सेवा की । इसके पश्चात पैप्सू पंजाब में मर्ज हो गया तो फिर वे पंजाब में भी उप-मंत्री के पद पर रहे । जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए तो वे हरियाणा के अन्दर भी राज्य मंत्री के पद पर रहे । इस प्रकार से मेजर साहब अपनी वेरीयस कैपेसिटीज में प्रान्त और देश की सेवा करते रहे । आज हमें उनका हमारे बीच से उठ जाने पर बड़ा अफसोस है । यह सदन दिवंगत नेता के परिवार से हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है और इस शोक प्रस्ताव की एक प्रति उन्हें भेजने का निश्चय करता है ।

श्री पट्टम थानू पिल्ले का भी हमें बड़ा दुख है क्योंकि वह हमारे ज्वायंट पंजाब में राज्यपाल के पद पर रहे और केरल में दो बार मुख्य मंत्री भी रहे । उनके निधन पर भी सदन गोक प्रकट करता है । मैं सदन से दरखास्त करता हूँ कि शोक प्रस्ताव पास करें और एक प्रति शोक प्रस्ताव की उनके परिवार को सहानुभूति के रूप में भेजी जाये ।

श्री पी. गोविन्दा मैन्नन जो कि केन्द्र में कानून मंत्री थे, उनका निधन 23 मई, 1970 को हुआ उनका नाम भी मैं इस लिस्ट

मे शामिल करता हूं। श्री मेहर चन्द खन्ना ओर डी. इरिंग का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल करता हूं। श्री मेहर चन्द खन्ना सैंटर मे राज्य मंत्री के पर रहे और वेरीयस कैपेसिटीज में उन्होंने देश की सेना की। इसी प्रकार से श्री डी. इरिंग जिनका निधन 21 जून, 1970 को हुआ वे भी केन्द्रीय सरकार में उप-मंत्री के पद पर थे। उनके निधन पर भी यह सदन शोक प्रकट करता है।

इसी तरह से श्री जयपाल सिंह जी, जो मैम्बर पार्लियामेंट थे उनके निधन पर भी यह सदन शोक प्रकट करता है। श्री जयपाल सिंह जी का निधन 20 मार्च, 1970 को हुआ। वे बिहार से लोक सभा के सदस्य थे। इनके अतिरिक्त कुछ और भी महानुभाव थे जो आज हमारे बीच से चले गये हैं उनका भी मैं इस शोक-प्रस्ताव की लिस्ट में नाम ऐड करता हूं वे हैं श्री एन. बी. माइटी जो एक्स मैम्बर आफ पार्लियामेंट थे, श्री के. वी. रंगा रेड्डी, एक्स मैम्बर आफ पार्लियामेंट, श्रीमती लीला रे मैम्बर कस्टिच्यूनट असैम्बली, डा० एन. बी. खारे, एक्स-चीफ मिनिस्टर मध्यप्रदेश, श्री राजा कामख्यानारायण सिंह, एम. एल. ए., बिहार प्रदेश, श्री कुंजी लाल दूबे, फाइनेंस मिनिस्टर, मध्य प्रदेश, महाराजा स्वाई मान सिंह आफ जयपुर, मेजर जनरल अमीर चन्द, श्री बसंत सिंह, एम. एल. ए., पंजाब, राय हरिचन्द, एम. एल. ए., पंजाब। सो मैंने सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि -

यह सदन इन दिवंगत नेताओं के परिवारों के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है इस लिये इस शोक-प्रस्ताव को

पास करके उनके परिवारों के नाम सहानुभूति का प्रस्ताव भेजा जाये ।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटैली) : स्पीकर साहब, जिन महान आत्माओं के स्वर्गवास पर आनरेबल लीडर आफ दी हाउस ने अपने दुःख का इजहार या है, मे भी उनके दुःख और उनके इस प्रस्ताव के साथ शामिल होना चाहता हूं ।

पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी के साथ देश की बड़ी महान हस्तियां हमारे बीच से उठती जा रही हैं और बदकिस्मती से उनकी जगह लेने के लिये अभी कोई पैदा नहीं हुआ । जो एक नस्ल देशभक्त और लीडरों की थी वह एक प्रकार से हमारे बीच से नाबूद सी होती जा रही है और मैं तो समझता हूं कि आज इन्ही कारणों से हमारा देश दुर्दशा और परेशानी का बाइस बना हुआ है ।

इसी साल जब हमारा बजट सेशन खत्म हुआ तो हमारे सब से बुजुर्ग और मोहतरीम साथी मेजर अमीर सिंह जी, जिनकी देश की पौलिटिक्स में बहुत बड़ी जगह थी उनका निधन सेशन समाप्त होने के थोड़े दिनों के पश्चात् हो गया । अचानक ही वे हमारे बीच से उठ गये । उनके प्रति हरियाणा के बच्चे बच्चे को बहुत प्यार और अहतराम था । उनके चले जाने से विशाल हरियाणा पार्टी को तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और यह सदमा सिर्फ अपोजीशन को ही नहीं इस मारे इलाके को हरियाणा और

पंजाब के आस पास के इलाके को राजनीति में बहुत भारी धक्का लगा है । उनकी जगह पूरी होनी बहुत मुश्किल हूँ । वह बहुत हरदिल अजीज थे । बहुत लोग उन्हें प्यार करते थे । इस बात का सबुत तो आज इसी बात से मिलता है कि उनकी मौत से हुई खाली जगह से जनता ने उनकी धर्म पत्नी को यहां पर चुन कर भेजा है । वह हमारे लिये उनकी एक निशानी ऐ । जितना योगदान उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी को दिया और जितना योगदान हाउस को दिया जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के इस रैजोल्यूशन से नजर आ रहा है, उसको देखते हुए मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें शक्ति दे ताकि हम मेजर अमीर सिंह के नक्शे-कदम पर चल सकें और वह सेवा कर सकें जिस तरह की वह जनता की बेलाग सेवा करना चाहते थे । जितना प्यार उनको फौज से था, जितना प्यार उनको हरियाणा से था, जितना प्यार उनके दिल में साथियों के लिये था, जितनी लग्न उनके दिल में देश की सेवा करने की थी, भगवान करे ऐसे जिन्दादिल लोग हरियाणा में और पैदा हो सकें ताकि हरियाणा का कुछ उद्धार हो सके ।

इसी तरीके से और बहुत बड़े-बड़े महारथी हमारे बीच से उठ चुके हैं । श्री मेहर चन्द खन्ना जो कि भारत सरकार में रिहैबलिटेशन मिनिस्टर तथा बहुत अरसे तक भारत सरकार में मंत्री रहे, हम से बिछुड़ चुके है' । जिन दिनों वे रिहैबलिटेशन मिनिस्टर थे, उन्हीं दिनों मैं भी पंजाब सरकार में रिहैबलिटेशन मिनिस्टर था

। मेरा उनसे नजदीकी वास्ता पड़ता था, ताल्लुक पड़ता था । उन्होंने शरणाथी भाइयों में बड़ी दिलचस्पी ली । दिन रात उजड़े हुए भाइयों के लिये उन्होंने काम किये । पंजाब, जिसके अन्दर कि मौजूदा हरियाणा भी उस वक्त शामिल था, के साथ उनकी गहरी हमदर्दी थी । पंजाब की मदद के लिये उन्होंने करोड़ों रुपयो की जमीन कौड़ियों के भाव भारत सरकार से दिलवायी ताकि हम उजड़े हुए भाईयो को दे सकें ।

हमारे बीच में से आज पट्टम थानू पिलै जैसे मदानुभाव उठ गये है उन्होने संयुक्त पंजाब में गवर्नर के रूप में थोड़े समय के लिये सेवा की । वह देश के महान् नेताओं में से ये श्री एरिंग, भारत सरकार में डिप्टी मिनिस्टर थे । इनके अलावा जितने भी महानुभाव बड़ी बड़ी शख्सीएत के थे, जिनके कि नाम चीफ मिनिस्टर साहब ने शोक प्रस्ताव में दिये हैं, उनके और उनके साथियों के लिये हमारे दिल में गहरा दर्द है और उनके परिवारों से हमें बड़ी गहरी व दिली हमददी है । मैं अपनी तथा अपने साथियों की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इस दुख में शामिल होता हूँ । (धन्यवाद)

मलिक मुख्तियार सिंह (सोनीपत) : स्पीकर साहब, जो हस्तियां हमारे से जुदा हुई हैं और जिनके बारे में यहां पर यह अफसोस का रैजोल्यूशन लीडर आफ दी हाउस ने रखा है, मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करता हूँ ।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो-जो हस्तियां हमारें से जुदा हुई है, यदि एक तरफ से उनके जीवन की तरफ रोशनी डाली जाये तो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के संग्राम मे बढ-चढ कर हिस्सा लिया । मेरे ख्याल में यह ऐसी हस्तियां थीं जिनकी जगह लेना आने वाली सन्तान के लिये मुश्किल होगा । उनमे बहुत से ऐसे महानुभाव है' जिनके साथ हमारे जाति तौर पर भी ताल्लुकात रहे तथा जो हमें जाति तौर पर जानते थे । कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिनसे कभी भी हमारा वास्ता नहीं पड़ा लेकिन कम से कम उनके जीवन की बाबत पढ़ने का, उनको देखने का हमें मौका जरूर मिला । डिप्टी स्पीकर साहिबा, सबसे ज्यादा अफसोस हमें अपने एक आनरेबिल मैम्बर जोकि हमारे इस हाउस के सदस्य थे, मेजर अमीर सिंह, जिनका लीडर आफ दी हाउस तथा लीडर आफ दी अपोजीशन ने भी जिक्र किया है, की मौत से हुआ है । वह जब तक फौज के अन्दर रहे, उन्होंने शानदार तरीके से देश की सेवा की । इंडियन आर्मी के अन्दर उनका एक डिस्टिग्वीशड रिकार्ड है । फौज के बाद उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा । मिनिस्टर के तौर पर आपने उन्हें देखा होगा और हमें इस बारे में जाति तौर पर भी तजरुबा है कि जो काम पहले महीनों में होते थे, मेजर अमीर सिंह ने दिन और रात लगाकर वह हफ्तों के अन्दर किये और जो हफ्तों के अन्दर हुआ करते थे वह उन्होंने घंटों और दिनों के अन्दर करके दिखाये । डिप्टी स्पीकर

साहिबा, हमारे हाउस का कौन मैम्बर नही जानता कि हाउस की प्रोसीडिंग्ज में जितना डिस्कशन यहां पर होता था, उसके अन्दर बहुत बड़ा मेजर कन्टीव्यूशन उन्हीं का होता था । वह हमेशा ब्रीफ होते थे, उनकी बात टू दी प्वायंट होती थी । हौनेस्टी, इन्टैग्रेटी और डीसैन्सी के अन्दर वह हमेशा यकीन रखते थे । मेरा ख्याल है कि वह हाउस के सबसे बड़े संजीदा मैम्बर थे जिन्होंने हमेशा इस हाउस के अन्दर बैठकर, हाउस की जितनी प्रोसीडिंग्ज थीं और जितने भी रिवायात इस हाउस के अन्दर हो सकते थे, उनको हमेशा कायम रखा । वह जिस वक्त हमसे जुदा हुए हैं उस वक्त हमारे प्रदेश को ऐसे संजीदा व्यक्तियों की जबर्दस्त जरूरत थी । हमें उनके जुदा होने का सब से ज्यादा अफसोस है ।

इनके अलावा पंजाब के एम. एल. ए. सरदार बसन्त सिंह मोगेवाले के मरने का हमें बहुत अफसोस है । जिस तरह से उनका कत्ल किया गया और जिस तरह से तोड़ फोड़ करने वाली ताकतें देश के अन्दर सिर उठा रही हैं, उन्हीं ने उन्हें क्या समला, यह बात समझ में आई नहीं क्योंकि यह अभी तक एक राज ही है कि किस तरह से उनका कत्ल किया गया । वह एक नौजवान व्यक्ति थे और काम करने वालों में से थे । मेरा उनसे जाति तौर से काफी वास्ता रहा । पंजाब सरकार उनके कत्ल का कोई सुराग आज तक नहीं निकाल सकी । इसी तरह श्री हरीचन्द भी पंजाब के एक्स एम. एल. ए. थे । वह भी एक बड़े संजीदा आदमी थे । अपने देख नथा प्रदेश के त्रिये उन्हीं ने काफी खिदमत सरंजाम दी

। मैं यह समझता हूँ कि हमारे लिये आज बहुत बड़े अफसोस का दिन है । हम उन महानुभावों और उन हस्तियों को आज अपनी श्रद्धांजलि इस हाउस के अन्दर पेश कर रहे हैं । मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं जिनके द्वारा मैं उन हस्तियों की तमाम जिन्दगी के ऊपर कोई अच्छे शब्दों में रोशनी डाल सकूँ लेकिन मैं उनको इन्हीं थोड़े से अल्फाज में श्रद्धांजलि पेश करता हुआ अपनी जगह लेता हूँ ।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदया, मुख्य मंत्री जी ने दिवंगत आत्माओं तथा महान आत्माओं के लिये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, जितना इन महान पुरुषों के साथ, जिनके कि नाम सुची में लिखे हैं, मुझे जाति तौर पर साथ रहने का मौका मिला हूँ, रुस मदन के शायद ही किसी दूसरे सदस्य को प्राप्त हुआ हो । उपाध्यक्ष महोदया, मेजर अमीर सिंह, एक बहादुर फौजी अफसर थे और पुख्ता इरादे के आदमी ने । उनके शरीर को वम ने छलनी बना दिया था और जितने उनको शरीर के अन्दर घाव लगे थे, अगर कोई आम आदमी उन घावों को देख लेता ते डर के मारे उस का हार्ट फेल हो जाता । लेकिन मेजर साहब इन जख्मों से बिलकुल नहीं और पूरी गई हिम्मत से काम लिया । जींद रियासत को कि हरियाणा का भी हिस्सा थी और कुछ पंजाब का भी थी जिस वक्त उस रियासत जींद में प्रजा मंडल का आंदोलन चला तो उस वक्त मेजर

साहब एक अग्रणी नेता के रूप में आगे आए और उस आन्दोलन के डिक्टेटर बने । इस आन्दोलन के सिलसिले में उनको जेल भेज दिया गया लेकिन वह डरे नहीं और बड़ी बहादुरी से उन्होंने अपनी रियासत की सेवा की । इसके बाद 1954 में उनको कांग्रेस पार्टी ने इलैक्शन लड़ने का मौका दिया । उस समय भी उन्होंने रचनात्मक ढंग से पँष्णु राज्य की बड़ी सेवा की । उपाध्यक्ष महोदया, मुझे अपने तथा दूसरे राज्यों के बारे में काफी जानकारी है । शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जो उनका मुकाबला कर सकता हो । कोई भी काम उनको सौंपा जाता था वह उस को पूरी जिम्मेदारी से करते थे । आज जो दादरी की नहर है उस को और रोहतक की हद से लेकर नारनौल तक की बिजली की लाईन रात और दिन काम कराकर इतने थोड़े अर्से में पूरी करा दी कि शायद हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में उसका मुकाबला हो सकता और इस काम में जिनसे जमीन ली गई उनको पूरा मुआवजा भी दिया गया । किसी को कोई शिकायत नहीं हुई । जमीन का मालिक भी उन से सन्तुष्ट था और मजदूर भी सन्तुष्ट था । चाहे उनको पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर के रूप में सड़क बनवाने का काम मिला, चाहे हैल्थ मिनिस्टर के रूप में अस्पताल में सुधार करने का काम मिला उन्होंने हमेशा ही बहुत थोड़े अर्से में ज्यादा से ज्यादा काम किया ।

उपाध्यक्ष महोदया, जहां उनमें काम करने की एक अद्भुत शक्ति थी उसके साथ-साथ राजनीतिक इमानदारी जो

आज बहुत कम है, उसके अन्दर भी उनका जीवन एक उदाहरण का जीवन है । मुझे मालूम है कि वह एक कांग्रेस के विधायक के नाते पैप्सू असैम्बली के सदस्य चुने गये । इस के बाद मेजर साहब पंजाब कौंसिल के सदस्य चुने गये । जब कभी भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का इरादा किया, उन्होंने कांग्रेस को चुपचाप नहीं छोड़ा बल्कि वे जनता के सामने गये और अपने विचारों को जनता के सामने रखा तथा चुनाव जीतकर आए और राव बीरेन्द्र सिंह की वज्जारत में मंत्री रहे । 1967 में विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर जीत कर आए । मुख्य मंत्री के वे रिश्तेदार थे लेकिन इस चीज से उन किए राजनीतिक विचारों पर कुछ भी असर नहीं पड़ा । चाहे वे मंत्री पद पर रहे या विधान सभा के सदस्य रहे लेकिन हमेशा ही बड़े नख स्वभाव के रहे । उनके बड़े लड़के चौधरी यादवेन्द्र सिंह को नौकरी से हटा दिया गया तथा उनके छोटे लड़के कैप्टिन लोकेन्द्र सिंह, जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर एक अफसर लगे थे, उनको सरकार ने हटा दिया लेकिन फिर भी यह सरकार उनके राजनीतिक विचारों को नहीं बदल सकी ।

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : चौधरी साहब आप यहां किन बातों का रैफरेंस दे रहे हैं । यह शोक प्रस्ताव है ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं भी उसी शोक प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ । हमारी सरकार की कार्यवाही के सिलसिले में हाईकोर्ट का जो फैसला है उसकी नकल मैं लाया हूँ

उपाध्यक्षा : मैं कहती हूँ कि यह शोक प्रस्ताव हूँ अगर यह शोक प्रस्ताव ही रहे तो अच्छा है । आप इन बातों का इस समय जिक्र न करिये ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं इसी के बारे में बोल रहा हूँ । मैं कह रहा था कि मेजर साहब का राजनीतिक इमान कितना पक्का था और उसको तोड़ने के लिये फिर क्या क्या हुआ है उसको बता रहा हूँ । जो फैसला हाई कोर्ट का है उसकी नकल मैं लाया हूँ अगर मंत्री महोदय चाहें तो मैं उसे पढ़कर सुना सकता हूँ (विघ्न) लेकिन इन सब बातों के बावजूद मेजर साहब अपने विचारों पर अडिग रहे । मेरा उनको कांग्रेस में लाने और उनके जीवन को एक तरह से राजनीति में डालने में काफी हाथ रहा है । वह मेरे नजदीकी दोस्त रहे हैं और मुझे उनको करीब से पढ़ने का मौका मिला है । इतने हौसले वाले और सेवा के नुक्तानिगाह से काम करने वाला कांग्रेस पार्टी में तथा विरोधी दल के सदस्यों में कोई भी नहीं होगा । जब भी सदन में वे कोई प्रश्न पूछते थे तो उस विषय पर पूरी तैयारी के साथ आते थे । लेकिन जैसा कि बहन चन्द्रावती जी ने कहा है कि उनके सुपुत्र को तनख्वाह जो दो साल की नहीं मिली हूँ वह मिलनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदया मेजर अमीर सिंह की तरह ही श्री थानू पिल्लै भी मेरे साथ कान्सटीट्यूट असैम्बली में रहे थे । जिस स्टेट के वे राज्यपाल थे हरियाणा भी. उसका एक हिस्सा था । मुझे उन के साथ दोनो तरीके से काम करने का मौका मिला । में उनके साथ सदस्य भी रहा और उन का मंत्री भी रहा । वे अपने प्रदेश के मंत्री भी रहे और मुख्य मंत्री भी रहे और फिर उन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया । श्री पिल्लै ने बड़ी बहादूरी से इस देश की सेवा की और वह पीढ़ी जिसने इस देश को आजाद कराया और देश की आजादी के लिये सब तरह की कुरबानियां की उसके महान् व्यक्तियों में से अब एक के बाद एक हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं ।

इसी तरह से हमारे कानून मंत्री श्री मेनन साहब थे । उनके साथ भी मुझे कौस्टीट्यूट असैम्बली का सदस्य होने के नाते. इकट्ठे बैठने का मौका मिला । वे केरल राज्य के मुख्य मंत्री रहे और हिन्दुस्तान के कानून मंत्री रहे । भारत के अन्दर जो बैंकस हैं जिनके हाथ में यहां की अर्थ शक्ति केन्द्रित है उसको लोगो की शक्ति बनाने का राष्ट्रीयकरण करने का उनको सौभाग्य मिला और इस तरह से उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता की बहुत अधिक सेवा की । आजादी की लड़ाई के समय में भी उन्होंने देश की बहुत सेवा की थी ।

श्री मेहरचन्द खन्ना जिनके साथ लोक सभा के सदस्य के नाते मुझे बैठने का मौका मिला हमारी केन्द्रीय सरकार के मंत्री

रहे और बे-तनखाह के () अफसर भी रहे थे । पाकिस्तान से उजड़ कर आये हुए लोगों को बसाने के लिये जितनी योजनाएं हिन्दुस्तान की सरकार ने बनाईं उन योजनाओं को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथे था । इस के साथ साथ उन्होंने बहुत सी शिक्षा संस्थाओं को जो पहले से स्थापित थीं रोहतक जिले में भी है हरियाणा में कई दूसरी जगहों पर भी हैं उनकी उन्होंने खास माली सहायता देकर जमीन देकर मदद की ताकि रजो लोग उजड़ कर के आये हैं उनकी सहायता की जाए उनके बच्चों को शिक्षा की मदद दी जाए, व उनको पांव पर खड़ा किया जाये । उपाध्यक्ष महोदया आदिम जाति के लोगों के लिये उनके दिल में कितना प्रेम था हिन्दुस्तान की सरकार हिन्दुस्तान की जनता उनको सदा उनके कार्यों से याद रखेगी । श्री डी. इरिग के न्द्रीय उप-मन्त्री उनके साथ लोक सभा का सदस्य होने के नाते तो नहीं परन्तु उनको मैं जाति तौर से जानता हूं । गरीबों के लिये, आदिम जाति के लोगों के लिये उन के दिल में भी कितना प्रेम था, भारत उसके लिये हमेशा उनको याद रखेगा । श्री जयपाल सिंह जी के साथ 15 साल मुझे इकट्ठा रहने का मौका मिला, सदस्य के नाते भी और पड़ोसी होने के नाते भी । जब मैं लोकसभा में था, वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे लेकिन इ सके बावजूद मैं एक बात उन में देखता था कि गरीब लोगों की सेवा के लिये, अनुसूचित जातियों की सेवा के लिये उन के दिल में जितनी श्रद्धा थी और प्यार था, वह मैंने बहुत कम लोगों में देखा है । उनका इतिहास मैं एक खास स्थान रहेगा ।

श्री एन-बी मैटी, मुझे याद है कि वह एक बहुत बहादुर और क्रान्तिकारी थे। देश की आजादी को हासिल करने के लिये उन्होंने बढ-चढ कर हिस्सा लिया। देश को आजाद करवाने में भी वे अपनी जान से खेलते रहे। उपाध्य महोदया, सूर सी तरह श्री के वी रंगा रेडी, जिन को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जि के साथ काम करने का मौका मिला, जिन के साथ मुझे मुख्तलिफ सदनों में भी काम करने का मौका मिला, बड़े भले आदमी थे। देश के इतिहास में उन का नाम सदा सद के लिये चमकता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदया, राजा कामख्या नारायण सिंह के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। वे हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहे लेकिन एक बहादुर नेता थी। उन में क्या गुण थे हम नहीं जानते। लेकिन मैं उनके स्वभाव से अच्छी तरह बे वाकिफ हूँ। हर इंसान में कोई न कोई गुण तो होंगे ही। देश की सेवा का जगया उन के दिल में बहुत था वह एक निडर और बहादुर व्यक्ति थे। डा० खारे साहब भी एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, इनका भी कांग्रेस से विरोध हो गया। इस के बाद उन्हें जब कभी भी अवसर मिला, उन्होंने अपने ढंग से अपने विचारों को मानने हुए, बहादुरी से काम किया। लेकिन कई दफा कुछ गलत काम भी किये। कहते हैं कि देश के राष्ट्रपिता के साथ उनकी सहमति नहीं थी तो कुछ गलत रास्ते पर भी चले, कुछ सही रास्ते पर भी चले। यह तो भगवान् ही जानते होंगे। श्री कुंजी लाल दुबे जी

को मध्य प्रदेश में सेवा करने का मौका मिला । इनके जाने से देश को एक बड़ा भारी धक्का लगा है । इनके स्थान की पूर्ति कभी नहीं हो सकती । उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से हमें एक और महान् हस्ती की याद आती है, मेजर जनरल अमीर चन्द, जो लाहौर के बहुत बड़े डाक्टर थे । उन्होंने देश की बड़ी सेवा की । इनके लड़के आज मैडिकल कालेज रोहतक के प्रिंसीपल हैं? जनरल साहब ने गरीबों और बीमारों की जितनी सेवा की और जेलों में कैदियों की जितनी सेवा की, उस के लिये उनको हम याद रखेंगे ।

महाराजा जयपुर, जिन के बारे में अभी राव साहब ने बहुत कुछ कहा है वह भी हमारे मध्य आज नहीं है' इसी तरह से राय हरिचन्द जी, जब पंजाब कौंसिल थी और जिस में शायद आपको भी मैम्बर रहने का अवसर मिला था, उसमें भी वह मैम्बर थे और वह सर छोटू राम जी के विचारों के अपने इलाके के बड़े मजबूत मैम्बर थे । देश आजाद होने के बाद भी वह पंजाब असैम्बली के मैम्बर रहे, हरियाणा जनता व समस्त हिन्दुस्तान हमेशा इन महान् आत्माओं को उनके कार्यों से उन्हें याद रखेगा । सरदार बसन्त सिंह जी, जिन के बारे में अभी चौधरी मुख्तियार सिंह जी कहा की एक वक्त में उनका निधन हुआ जबकि उनकी

इस राज्य को बहुत जरूरत थी । उनका निधन कैसे हुआ, इसका अभा तक पता नहीं चला, यह हमारे लिये, हमारे देश के लिये बड़े दुख का मकाम है ।

उपाध्यक्ष महोदया इन दिवंगत आत्माओं ने अपने अपने ढंग से दश की सेवा की हमें उन सब को जो आज श्रद्धांजलि भेंट करने का मौका मिला है यह मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ । भगवान उन सब दिवंगत आत्माओं को शान्ति दे और इन सब के खानदानों के साथ हम सब को हमदर्दी है इस लिये भगवान् उनके परिवारी को शक्ति दे कि वह शान्त मन से इस सदमे को सहन कर सके । हमारी बहिन लज्जा रानी जी को जो कि मेजर अमीर सिंह चौधरी जी के स्थान पर आई हैं, जितनी करीब वे मेजर साहब के रहीं है, शायद उनके उतना करीब हम भी न रहे होंगे । उन को मेजर साहब के कार्यों से शिक्षा लेनी चाहिये । मेजर साहब का स्थान हमारी बहन जी ने लिया । भगवान् उनको शक्ति दे कि वे मेजर साहब के कर्तव्य को पूरा कर सके । बस इन शब्दों के साथ मैं बैठने की आज्ञा चाहूंगा ।

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सदन म जिन महान् आत्माओं के निधन पर जो शोक प्रस्ताव पेश किया गया है, हम उस पर वोल रहे हैं । मैं भी उन महान् आत्माओं की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । जिन महान् आत्माओं का निधन इस समय हुआ, उन्होंने देश की बड़ी भारी सेवा की है, देश के लिये बलिदान दिया है और राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है परन्तु मैं अधिक कुछ अपने उस बुजुर्ग चौधरी अमीर सिंह, एम.एल. ए. के बारे में कहना चाहूंगा जो पिछले सेशन तक इस सदन के

एक सम्मानित सदस्यों में से थे, जिन के निधन से इस सदन को और तमाम हरियाणा की जनता को एक बड़ा भारी धक्का लगा है । उनके निधन से राजनीतिक क्षेत्र में हमें बड़ा घाटा हुआ है, जिस की पूर्ति नहीं की जा सकती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे बचपन से ही मेजर साहब के सम्पर्क में रहने का अवसर मिला है, मेरा उनके परिवार के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । मिलिटरी से रिटायर होने के बाद, राजनीतिक क्षेत्र में जब मेजर साहब आए और प्रजामंडल में काम करना आरम्भ किया तो मैं उसी प्रजामंडल में काम कर रहा था, और उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला । उस समय कई आन्दोलन चले, उन आन्दोलनों को चलाने में, मैं भी शामिल था और इस प्रकार इन आन्दोलनों में भी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला । वह बड़े दृढ संकल्पी आदमी थे । उनके दृढ निश्चय, बहादुरी और साहस को देखने का अवसर मुझे काफी नजदीक से मिला है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेजर अमीर सिंह जी राजनीति में आए और बड़ी सफलता के साथ उन्होंने अपने फरायज निभाए । पैप्सू के दिनों में वह विधान सभा के मੈम्बर चूरने गये थे, उस के बाद वह उपमंत्री बने । उप मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने इलाके के लिये जो काम किया उस को कभी भुलाया नहीं जा सकता । जिस नहर का चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिक्र किया है मेरा गांव भी उसी इलाके में है जिस को कि उस नहर से लाभ पहुंचता है । मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि वह एक ऐसा इलाका था जहां पर कि कभी पहले फसल नही पैदा होती थी और उस इलाके के बारे में यह कहावत मशहूर

थी कि यहां पर कहत महमान बन कर रहता है । अब मेजर साहब की कोशिशों का नतीजा है कि उसी इलाके में तरह तरह को फसलें पैदा होती हैं और वह एक खुशहाल इलाका बन गया है । मेजर साहब ने उस इलाके के लिये जो काम किया है उस का ऋण उस इलाके के लोग कभी भी अदा नहीं कर सकते । जितने दिन वह उस पद पर रहे बड़ी मेहनत से काम करते रहे । जिन दिनों में दादरी की नहर बनाई जा रही थी तो उस वक्त पैप्सू की राजधानी पटियाला में होती थी । जब भी हमें उन से मिलने का काम होता और हम पटियाला में जाते तो वह वहां पर नहीं होते थे बल्कि उस नहर पर तल्लीन होकर काम करवाते नजर आते थे ।

चौधरी जय सिंह राठी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस हाउस में इसी विधान सभा के एक मैम्बर का शोक प्रस्ताव आया है और उस पर रैफेंस हो रहे हैं लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि न तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब यहां पर हाजिर हैं और न ही टैरयरी बैचिज वाले बहुत से मैम्बर साहिबान ही हाजिर हैं ।

गृह मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल) : क्या हम गवर्नमैट नहीं हैं?

उपाध्यक्षा : यह तो आप का कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं बनता, हाउस का कोरम भी पूरी है! अंरि चार वजीर साहिबान

भी बैठे हुए हैं और यह जरूरी नहीं है कि चफि मिनिस्टर साहब यहां पर हर समय बैठे रहें ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे बड़ा खेद है कि शोक प्रस्ताव जैसे गंभीर मामले में भी विरोधी दल की तरफ से विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है ।

उपाध्यक्षा : मैं आप से प्रार्थना करूंगी कि आप शोक प्रस्ताव पर ही बोलें, उनको मैंने पहले ही रोक दिया है ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : मैं जिक्र कर रहा था कि मेजर साहब जब ट्रेयरी बेंचिज पर बैठते थे तो रचनात्मक काम करते थे और जब से उन को विरोधी बेंचों पर बैठने का इतफाक हुआ था तो तब भी वह रचनात्मक नुक्ताचीनी करते रहे, कोई भी बात वह ऐसी नहीं करते थे जो विवाद पैदा करने वाली हो । मैं तो उनकी मिसाल देकर कहा करता था कि अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम का सही ढंग सीखना हो तो मेजर साहब से सीखना चाहिये, जिस तरीके से वह काम करते थे उस तरीके से काम करना चाहिये । वह हमेशा टू दी प्वायंट बात किया करते थे । मैं समझता हूं कि उनकी इतनी कुआलिटीज को देखते हुए आज इस सदन का सिर मेजर अमीर सिंह जी की याद में झुक जाता है और हम महसूस करते हैं कि यह हरियाणा के लिये इतनी बड़ी क्षति है जिस को कि पूरा नहीं किया जा सकता ई मुझे इस बात का खेद है कि हमारे एक साथी चौधरी रणबीर सिंह जी जिन के ऊपर

सरकार की विरोधता करने का भूत सवार हुआ हुआ है वह इस शोक प्रस्ताव के मामले में भी ऐसी बातें करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी ।

उपाध्यक्षा : मैं मੈंबर साहव से कहूंगी कि वह शोक प्रस्ताव के मामले पर कोई कन्ट्रोवर्सी रेज करने की कोशिश न करें ।

श्री मंगल सैन : आन ए प्यायंट आफ आर्डर, मैडम, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की रूलिंग चाहता हूँ कि क्या इस सदन में एक मੈंबर किसी दूसरे मੈंबर के लिये यह शब्द इस्तेमाल कर सकता है कि उन्हें भूत सवार हुआ हुआ है ।

उपाध्यक्षा : भूत सवार का लफज अनपार्लियामेटरी शब्दों की लिस्ट में मेरे ख्याल में नहीं है लेकिन शोक प्रस्ताव के वक्त अगर ऐसे लफजों का न इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री मंगल सैन : तो फिर यह अलफाज उन से विद्द्रा करवाये जायें ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : मैं भूत सवार के शब्दों को विद्द्रा करता हूँ । मैं शोक प्रस्ताव के वक्त कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहता । मैं निवेदन यह कर रहा था कि मेजर अमीर सिंह जी के निधन से हरियाणा को बहुत घाटा हुआ है

जो कि पूरा नहीं हो सकता । मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि हम मेजर अमीर सिंह जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हम चाहिये कि जैसे वह रचनात्मक कामों में लगे रहते थे उसी तरह हम भी काम करें और हरियाणा में तरक्की लाएं । इन शब्दों के साथ मैं उन के प्रति श्रद्धांजलि पेश करता हूं और इस के साथ ही जिन महान आत्माओं का इस सूची में जिक्र आया है, जिन्होंने आजादी के लिये बड़ा काम किया और राष्ट्र निर्माण में भी बहुत काम किया उन सब को मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं और जो शोक प्रस्ताव हमारे लीडर आफ दी हाऊस ने पेश किया है उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूं ।

महंत गंगा सागर (झज्जर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इस हाउस के अंदर जो लीडर आफ दी हाउस ने प्रस्ताव पेश किया है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस शोक प्रस्ताव के अंदर सब से पहले जिस महान नेता का जिक्र आया है वह मेजर अमीर सिंह जी है । उन से केवल हम ही नहीं बल्कि सारा भारतवर्ष परिचित हैं । मेजर साहब, बहुत सी ऐसी बातें हमें सिखा गये हैं जिन का कि हमारे ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है । उनके नजदीक रह कर डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमने बहुत सी अच्छी चीजे सीखी हैं । वह हमेशा गंभीर रहते थे और इतनी मेहनत करते थे कि रात के 11-12 बजे तक अपनी टेबल पर बैठ कर जो बातें विधान सभा में होनी होती थीं उनको देखा

करते थे । हम तो उन को बतौर उस्ताद मानते थे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, उनकी मजबूती का सहारा सिर्फ हम को ही नहीं था बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वह अपने आप में एक अनोखे और बुलंद कैरेक्टर वाले होने के नाते खुद एक मिसाल थे जिस की वजह से उनके इलाके भी उसी प्रकार से उन की मान्यता दी और उनकी धर्मपत्नी को उनकी जगह पर यहां चुन कर भेजा है । मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की तरफ से उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि पेश करता हूं ।

इसके अलावा जो और महान नेता श्री मेहर चंद खन्ना और श्री पट्टम थानू पिल्लै वगैरा है जिनके बारे में यह शोक प्रस्ताव रखा गया है मैं उसमें शामिल होता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस शोक प्रस्ताव की एक एक प्रति उनके परिवारों को भेजी जाये ।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो लीडर आफ दी हाउस ने शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उसके साथ सहमत होते हुए यह जो सूची दिवंगत आत्माओं की है उनको अपनी श्रद्धांजली पेश करती हूं । वैसे ऐसे मौके पर लीडर आफ दी हाउस के बोलने के बाद हमारा बोलने का कोई खास फर्ज नहीं रहता लेकिन इस सूची में मेजर अमीर सिंह जिनका और हमारा गांव पास पास था और हम एक इलाका से आते थे उन के लिये मैं समझती हूँ कि इस अवसर पर मुझे चंद शब्द कहने चाहिये । गो हम एक दूसरे के 'खिलाफ चुनाव

लड़े लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे का रिगार्ड करते रहे और मुझे, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बताते हुए खुशी होती है कि मेजर अमीर सिंह अपनी ड्यूटी के बहुत ही पाबंद थे। एज. ए. एम. एल. ए. या जिस कैपिस्टी में वह थे वह अपने इलाके के लिये जौ कुछ वह कर सकते थे वह करने में अपना फख समझते थे और उसे अपनी पवित्र ड्यूटी समझते थे। वह अपना एम. एल. ए. का काम डैडीकेशन के साथ करने वाले थे। और वह हर मौका को समझने वाले थे। सचमुच हमारी उनके लिये सही श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन से शिक्षा लें और जिस डैडीकेशन के साथ उन्होंने अपने फर्ज को निभाया हम भी उसी तरह निभायें और उनकी तरह अपने विचारों पर अडिग रहें और इस तरह न हो कि आज हम एक तरह से सोचते हैं तो दो मिनट के बाद कोई आगदा तो दूसरे तरीके से सोचें। मैं इस माँके पर इतना ही कहना चाहती हूँ और लीडर आफ दी हाउस और लोडर आफ दी अपोजीशन ने इन सब दिवंगत आत्माओं को जो श्रद्धांजलि भेंट की उस में शामिल होती हूँ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन में जिस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है और सत्तारूढ़ दल की ओर से और विपक्ष की ओर से क्रमशः रु सदस्यगण जिसका समर्थन कर रहे हैं मैं भी उस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, वैसे मेरे दल के ने ता ने अपनी बात कह दी थी लेकिन मैंने भी कुछ ऐसा आवश्यक समझा कि जिन के साथ मुझे कई

साल इस सदन का सदस्य रहने का अवसर मिला है और उनके बारे में सदन में चर्चा चल रही है तो मुझे अवश्य अपनी श्रद्धांजलि समर्पण करनी चाहिये । मैं तेरवी पर उन के घर पर भी गया था लेकिन वहां पर कोई ऐसा आयोजन नहीं था जिसके कारण मेरे हृदय के भाव दबे रह गये । आज मैंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर मिला है इस लिये अपने हृदय के उद्गार उस महान आत्मा के प्रति व्यक्त कर दु । उनके जीवन के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है कि वह अच्छे सैनिक और सैनिक अधिकारी थे । इस के साथ साथ वह राजनीति के क्षेत्र में सूझबूझ रखने वाले अच्छे नेता भी थे । सब से बड़ी बात जो उन में थी कि आजकल के प्रलोभन के जमाना में जहा लोग प्रलोभन में आ कर डिग जाते हैं और बह जाते हैं वहू उन सारी बातों से प्रभावित न हुए और अडिग रहे । आप जानते है कि उनके दिवंगत होने के बाद उसी चुनाव क्षेर से उनकी धर्मपत्नी चुन कर आई हैं जिससे उनकी अपने इलाके में पापुलैरेटी का सबूत मिलता है लेकिन इसके साथ वहां कुछ ऐसे हालात भी सामने आये हैं जिनके बारे में मैं नहीं चाहता कि इस अवसर पर कहा जाये क्योंकि वह कष्ट- दायक हैं । मगर कम से कम मेरे जैसे आदमी को बात हजम नहीं होती और मैं कहे बगैर रह नहीं सकता कि पति एक विचार के थे और सरकार की ओर से

उपाध्यक्षा : यह शोक प्रस्ताव है और मैं समझती हूं कि इस पर जितना थोड़ा बोला जाये उतना ठीक है ।

श्री मंगल सैन : मैंने जो कुछ कहा है उसमें अगर कुछ आपत्तिजनक है वह मैं वापस लेता हूँ और इस बात को मैं यहाँ पर ही ड्राप करता हूँ । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन दिवंगत आत्माओं के प्रति हम ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी ही है क्योंकि हमारे पुरखों ने कहा है कि दिवंगत आत्माओं के गुणों का ही बखान करना चाहिये । पट्टम थानू पिल्लै जैसे राज्यपाल जो हमारे राज्य के रहे, पी. एस. पी. के. सदस्य होते थे । वह ट्राविनकोर कोचीन के रहने वाले थे, वह केरल के मुख्य मंत्री बने और प्रजा समाजवादी होते हुए उनको गवर्नर बनाया गया । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) उन्हेंने प्राइवेट तौर पर ग्रेजुएशन की, ला किया और वकालत की । वह देश की आजादी के आन्दोलनों में शामिल हुए । इसी प्रकार हमारे कानून मंत्री श्री पी गोविंदा मैनन थे जो केरल से चुन कर आते थे । उनके निधन से कानूनी क्षेत्र को बहुत ही क्षति पहुंची है । स्पीकर साहब, मैं लोक सभा की प्रोसीडिंगज बड़े गौर से पका करता हूँ ओर मैं अनुभव करता हूँ कि आज शासन दल में अगर कोई बीरुमान लोग बचे से तो उनमें से वह एक थे । इसी तरह श्री खन्ना जी के निधन से बड़ी क्षति हुई है । वह सीमा प्रान्त के रहने वाले थे और वहाँ पर भी वह विभिन्न पदों पर काम करते रहे और बटवारे के बाद भारत सरकार ने उनकी सेवायें जब मांगी तो उन्हीने दीं और सरकार में शामिल हो कर रीहैब्लि- टेशन का काम बहुत अच्छे ढंग से किया । आज देहली में जो लोग बसे हुए हम देख रहे हैं और उजड़ कर आये लोगो को लाखों की सम्पत्ति का मालिक देख रहे

है' यह उनके प्रयास का फल है । श्री डी. एरिंग जो कि भारत के उपमन्त्री थे, इन का सम्बन्ध आसाम के पहाडी क्षेत्र से था । स्पीकर साहब, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पहाड़ों में रहने वाले वनवासियों के लिये शिक्षा प्रसार की सुविधाएं

8.00 PM

उपलब्ध करने के लिये बड़ा प्रयत्न किया और शिक्षा ग्रहण करने के लिये नवयुवकों को बड़ा प्रोत्साहन दिया । आज जो कुछ भी हम आसाम के पहाडी क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार देखते हैं, यह उन के ही प्रयत्नों का सुफल है ।

स्पीकर साहब, श्री जयपाल सिंह, मेम्बर आफ पार्लियामेंट एक बहुत बड़े

स्पोर्ट्समैन थे

श्री अध्यक्ष : आप कितना समय और लेंगे?

श्री मंगल सैन : दस बारह मिनट ।

श्री अध्यक्ष : जरा थोड़ा कर दें ।

श्री मंगल सैन : बहुत अच्छा जी । श्री जयपाल सिंह एक संसद सदस्य और एक स्पोर्ट्समैन थे । स्पीकर साहब, आप जानते हैं पब्लिक मैन और स्पोर्ट्समैन इन दोनों गुणों का मेल होना बड़ा कठिन होता है लेकिन ये इन दोनों गुणों से ओतप्रोत थे । स्पीकर साहब, आप भी सेना में रहे हैं और एक सफल

राजनीतिज्ञ हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि संसद में रहने वाले व्यक्ति को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिये बहुत ही कम अवसर मिल पाता है । वह इन दोनों गुणों वाले व्यक्ति थे, ऐसी विभूति विरलों में होती है ।

श्री के. वी. रंगा रैडी आन्ध्र प्रदेश से थे । श्रीमती लीला राय कांस्टीच्यूएंट असेम्बली की मैम्बर थीं । डा० एन्न. बी. खारे, मध्य प्रदेश, के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, बड़े योग्य व्यक्ति थे । जैसे ही उन्हें कांग्रेस की नीतियों से असन्तोष हुआ, वे हिन्दू महासभा में चले गये और हिन्दू महासभा के प्रधान बने रहे । उन्होंने देश और समाज की सेवा की ।

राजा कामख्या नारायण सिंह बिहार की विधान सभा के सदस्य थे । उन्होंने वहां खुद अपनी पार्टी का निर्माण किया और जिधर वे जाया करते थे सन्तुलन उधर ही झुक जाया करता था । ये प्रतिभा सम्पन्न और अनेक गुणों से विभूषित गुणवान व्यक्ति थे । राजनीतिक तौर पर हमारा उन से मतभेद हो सकता है, यह स्वाभाविक है । लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र में कमाल हासिल किया है । आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, हमें इस बात का रंज है ।

श्री कुंजी लाल दुबे मध्यप्रदेश के वित्त मन्त्री थे । वे बहुत देर तक कांग्रेस में रहे और उन्होंने देश और समाज की सेवा की । आप दो बार वहां की विधान सभा के अध्यक्ष रहे ।

स्पीकर साहब, ये बड़े सफल अध्यक्ष थे, उनके निर्णयों का, उनकी रूलिंग का आज भी उस प्रदेश में बड़ा सम्मान किया जाता है ।

इसी प्रकार पिछले दिनों जयपुर के महाराजा स्वाई मान सिंह का निधन हो गया । राजस्थान में से जो प्रमुख परिवार हैं उन में आप का परिवार एक है इ नके अलावा पिछले दिनों, हमारे उत्तर भारत के ही नहीं बल्कि समस्त भारत के बहुत बड़े व्यक्ति मेजर जनरल अमीर चन्द का स्वर्गवास हो गया है । उन के सुपुत्र श्री प्रेमचन्द, रोहतक मैडिकल कालेज के प्रिंसिपल हैं । स्पीकर साहब, मैं तो पिता की योग्यता का अनुमान पुत्र के गुणों से लगा सकता हूं । यह दूसरी बात है कि वे गवर्नमेंट सर्विस में होने के नाते गवर्नमेंट सर्वैट है, मुझे उनके गुणों की चर्चा करते हुए भय लगता है कि कहीं मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए और निर्धारित नियमों का अतिक्रमण न कर बैठ । लेकिन फिर भी मैं अनुमान लगा सकता हूं कि अमीर चन्द कितने सज्जन होंगे, कितने योग्य होंगे और अपने प्रोफेशन में क्या थे । उन्हेंने एक रत्न दिया जिस पर हरियाणा की संसद को नाज है । ये कितने अनुशासनप्रिय हैं, अपने काम के माहिर हैं । स्पीकर साहब, सच्च मानिए, मैंने उन के दर्शन अभी तक नहीं किये जो प्रिंसिपल रोहतक में है क्योंकि उन के दर्शन करने का अवसर मुझे नहीं मिला । मैं दूर बैठा हुआ उन के यश की सुगन्धी से अनुमान लगाकर, उस आधार पर बात कह रहा हूं । स्पीकर साहब, मेजर जनरल अमीर चन्द जैसी दिवंगत आत्माएं इस संसार से चली गईं मुझे इस का बेहद रंज है । मुझे

कई बार ऐसा लगता है कि यहां पर रहने वालों की यहां जरूरत नहीं है । पता नहीं क्या मामला है, वहां पर सब इकट्ठे हो रहे हैं ।

स्पीकर साहब, सब से ज्यादा दुखदायी बात वह है जो पिछले दिनों में पंजाब गे घटी । हम राजनैतिक कार्यकर्ताओं और राजनीति में सक्रिय भाग लेने वालों के लिये बहुत चिन्ता का विषय है । हमारे लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के चिन्ता का विषय है । राजनीति में एक दूसरे के विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है । जहां लोकतन्त्र होगा, जहां डेमोक्रेसी होगी

वहां डिफेंस आफ ओपीनियन इनहेरिट है । एक व्यक्ति अपने खेत पर जाता है और एक अजनबी आकर उन का कतल कर देता है । आप अनुमान लग सकते हैं कि आज देश में कितना अराजकता का वातावरण फैला हुआ है । इस प्रकार की अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों पर सरकार की पकड़ ढीली हो रही है । जो उग्रवादी तत्व हैं, जिन का ला-एंड-आर्डर पर विश्वास नहीं है, पता नहीं किस दिशा में देश को धकेलना चाहते हैं । सरकार इन उग्रवादी तत्वों के साथ निपटने के लिये अपने आप को कमजोर महसूस करती है । पता नहीं किस मोह में पड़े हुए है' । स्पीकर साहब, सरदार बसन्त सिंह, जिन की हत्या पिछले दिनों हुई है । उनकी हत्या डेमोक्रेसी की हत्या है, लोकतन्त्र की हत्या की गई है । आप जानते हैं कल तक पंजाब प्रदेश इस इलाके का हिस्सा था और हमारा उन के साथ अटूट सम्बन्ध है । अगर वहां ऐसी घटना

घट सकती है तो कहीं भी किसी भी प्रदेश में ऐसी और घटनाएं हो सकती हैं । सरदार बसन्त सिंह की निर्मम हत्या हुई है, उस के लिये हम दुख प्रकट करते हैं । स्पीकर साहब, इसी प्रकार श्री हरि चन्द, पंजाब विधान सभा के सदस्य का निधन हुआ ।

स्पीकर साहब, इस सूची में दिये गये जिन महान दिवंगत नेताओं का निधन हुआ है, परमात्मा इन को अपने चरणों में स्थान दे और उन के परिवार के सदस्यों को क्ष-मता दे ताकि वे इन के विछोह को सहन कर सकें । मेजर साहब के गुण इन्हीं के गुण थे जिन के कारण वे अडिग थे और अनेकों दवाब पड़ने के कारण भी वे अपने मार्ग पर डटे रहे और अपने गुणों को नहीं छोड़ते थे । इस तरह से हमें इन महान आत्माओं का अनुकरण करना चाहिये और अनुकरण करते हुए हमें अपने देश और समाज की सेवा करनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्रीमती लेखवती जैन (अम्बाला शहर) : स्पीकर साहब जो प्रस्ताव इस हाउस में, लीडर आफ दी हाउस ने पेश किया है और इस हाउस के आनरेबल मैम्बरज जो इन महापुरुषों के निधन पर अपना शोक और दुख प्रकट कर रहे हैं, मैं भी अपने आप को उन में सम्मिलित करती हूँ । स्पीकर साहब इस शोक प्रस्ताव के

ऊपर हाउस के बहुत से मेम्बरान ने अपने दुख को प्रकट किया है । सब मेम्बर तो बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे एक मिनट के लिये इस लिये खड़ा होना पड़ा कि इस हाउस के सुप्रसिद्ध मैम्बर मेजर अमीर सिंह, जो मेरे पुराने साथी थे और पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल में मेरे साथ सदस्य थे, आज इस हाउस में नहीं है जबकि पिछले सेशन में वे हमारे साथ यहां इस हाउस में थे । आप जानते हैं, स्पीकर साहब, मेजर साहब आपके साथियों में से एक थे, आपके साथ उन का बड़ा लगाव था । आपको यह भी मालूम है कि जहां उन्होंने एक फौजी आफिसर होने के नाते फौज में देश की सेवा की वहां राजनैतिक क्षेत्र में आकर, हरियाणा विधान सभा का सदस्य होकर, हरियाणा प्रदेश की सेवा करने में भी उन का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन था । उन के क्वैश्चन्ज, उनकी स्पीचिज उन की लगन से तैयारी और मेहनत करना आदि के गुणों को यह हाउस कभी भुला नहीं सकता ।

मेजर साहब पंजाब कौंसिल में भी मेरे साथी रहे हैं । उस वक्त भी मैंने देखा कि हाउस की डिगनिटी को वे हमेशा कायम रखते थे । एज ए चेयरमैन जब मैंने काम किया तब भी उन के प्रति कोई शिकायत नहीं होती थी कभी भी बोलते वक्त उन्होंने कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जिससे चेयर या किसी दूसरे सदस्य को ठेस पहुंचे ।

इसके साथ ही साथ स्पीकर साहब, जब हमारा पिछला सेशन हुआ, उसके बाद इस सेशन तक हमारे देश के और भी

बहुत से महान पुरुषों का निधन हुआ है और आज वे महान आत्मायें और महान पुरुष हमारे दरम्यान में नहीं हैं । इन में श्री थानु पिल्लै जी, जौ हमारे ज्वायंट पंजाब के गवर्नर रहे हैं, का नाम भी है । श्री मेहर चन्द खन्ना जिन्होंने एज ए सैन्ट्रल रिहैव्लीटेशन मिनिस्टर हमारे देश की बड़ी सेवा की, भी आज हमारे दरम्यान नहीं हैं । खास तौर से रफयूजी भाईयों के लिये उन्होंने जो काम किया उसको हमारा देश कभी भुला नहीं सकता ।

ज्यादा टाईम न लेती हुई, स्पीकर साहब, अन्त में मैं उन सब महान आत्माओं, जो आज हमारे दरम्यान नहीं हैं और जिनका जिक्र इस प्रस्ताव में है, के प्रति अपनी श्रद्धांजलि पेश करती हूँ और इस शोक प्रस्ताव के समर्थकों में अपना नाम शामिल करती हूँ ।

चोधरी चांद राम (बबैन अनुसूचित जाति) रू स्पीकर साहब, इस सदन में शोक प्रस्ताव के ऊपर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । इन दिवंगत आत्माओं की काफी बड़ी सूची है और इनके स्वर्गवास से सारे देश को बड़ा नुकसान हुआ है । इनमें से बहुत से ऐसे महान व्यक्ति थे जिनसे मेरा निजी सम्बन्ध भी था और बड़ी मित्रता भी थी । बड़े अफसोस की बात है कि हमारे कितने ही साथी आहिस्ता आहिस्ता हमसे बिछुडते चले जा रहे हैं । इन में से एक हमारे ज्वायंट पंजाब के गवर्नर, श्री थानू पिल्ले, जी भी हैं । उनसे मुझे कई बार मिलने का मौका

मिला था । उनकी कुर्बानियों का एक पुराना इतिहास है । मगर अफसोस है कि आज वे हमारे बीच नहीं हैं । उनके निधन से सारे देश को नुकसान हुआ है ।

श्री पी. गोविन्दा जी मैन्नन भी एक महान व्यक्ति थे । मुझे मालूम है कि आदि- वासी और हरिजन वर्गों के उत्थान के लिये उन्होंने सारे देश में एक कमेटी कायम की थी । सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनके पास ही था इस लिये उनसे भी कई बार वार्तालाप करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है । वे हर बार कहते थे कि इस देश में बहुत कम काम इन लोगों के लिये हुआ है परन्तु अब हम बहुत कुछ इनके लिये करने जा रहे हैं । उनकी मृत्यु से, मैं समझता हूँ, इस नए काम को, जो कि दलित वर्ग के उत्थान का काम था, जो गरीबों के उत्थान का काम था, बहुत नुकसान पहुंचा है । उन्होंने इनके उत्थान के लिये सारे देश में मजबूती के साथ जो एक तार जोड़ा था वह टूट गया है । श्री जयपाल सिंह, आदिवासी झारखंड पार्टी के लीडर थे । उनकी एक लम्बी हिस्टरी है । मैं समझता हूँ कि आज जो आदिवासी तहरीक चल रही है और खास तौर से हमारे जो पिछड़े, दबे और उपेक्षित लोग आगे आये हैं उनके लिये वे एक नई लीडरशिप वहां पर दे गये हैं ।

हमारे और भी साथियों का नाम इस लिस्ट में दर्ज है । खास तौर पर मैं अपनी सीट पर पड़ोस में बैठने वाले मेजर अमीर सिंह का जिक्र करूंगा । उनके निधन से यहां सभी सदस्यों को

बड़ा भारी दुख है । जब वे पैप्सू में डिप्टी मिनिस्टर थे तो दादरी फीडर को जो करोड़ों रुपये का प्रोजैक्ट था, उन्होंने कैम्प लगा करके, रात को लाईट जला करके, 60 दिन में, जो मैं समझता हूँ सारे इंडिया में इतने बड़े प्रोजैक्ट को पूरा कराने के रिकार्ड डेज होंगे, पूरा कराया । वे बार बार

इस वाकया को याद करके बड़े खुश होते थे । यहां भी वे बड़े रचनात्मक ढंग से सवाल पूछा करते थे । आज उनकी जगह पूरी नहीं हो सकती । विरोधी पक्ष में होने की वजह से जब कभी वे सरकार की नुक्ताचीनी भी करते थे तो उसे भी बड़े मीठे शब्दों में और रचनात्मक ढंग से करते थे । मैं उस दिवंगत आत्मा को अपनी ओर से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ ।

इनके अलावा अन्य सज्जनों का नाम इस लिस्ट में दर्ज है और जिनका यहां जिक्र किया गया है तथा जिनके बारे में यहां विचार व्यक्त किये गये हैं उनके प्रति भी संवेदना और सहानुभुति प्रकट करने के लिये मैं अपने आपको इस प्रस्ताव से सम्बन्धित करता हूँ ।

Mr. Speaker : Hon. Members, a great deal has been said about the various departed leaders. There is no doubt, they were very great men and they rendered distinguished service to our country. About Major Amir Singh, we all know as he was a member of this August House. I feel that he was certainly one of the top legislators of this House. Moreover, he had the character ; he had the integrity ; he had the capacity

to stand by the truth. Also, he had the heart to render genuine service to the poor and the downtrodden, particularly Kisans. He was certainly most popular and respected and, I know, otherwise the feelings of the hon, Members of this House. They all loved him because of his personal qualities. And, I personally feel, a time has come in this country today when we need men and leaders possessing sterling qualities, which he had. So, I associate myself with the deep sentiments expressed by my colleagues about the various departed leaders. I will certainly convey the feelings of the House to the bereaved families. I will now request you all to observe two minutes silence as a mark of respect to the departed souls.

(The House stood in silence for two minutes)

ADJOURNMENT OF THE HOUSE

Mr. Speaker : We now adjourned and will meet again today at 6.15 p.m.

(The House then adjourned and reassembled at 6.15 p.m.)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jam) : Sir, I beg to lay

6.15 p.m.

on the Table a copy of the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Ordinance, 1970.

Agriculture Minister (Shri Bhajan Lal): Sir, I beg

to lay on the Table a copy of the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Ordinance, 1970.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Ordinance, 1970.

Transport Minister (Shri Mahabir Singh) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following notifications issued under section 133(2) of the Motor Vehicles Act, 1939,-

(t) Notification No. GSR.6/C.A.4/39/Ss 24, 41 and 133/Amd.

(1)/69, dated the 10th January, 1969 ;

(ii) Notification No. GSR.20/C.A.4/39/S.21/Amd(1)/69, dated the 4th February, 1969 ;

(iii) Notification No. GSR.20/C.A. 4/39/5.41/70, dated the 25th February, 1970 ; and

(iv) Notification No. GSR.21/C.A.4/39/Ss. 24 and 41/Arad/ 70, dated the 2nd March, 1970.

Industries Minister (Shri Abdul Ghaffar Khan) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Second Annual Report of the Punjab State Industrial Development Corporation Limited for the year 1967-68, as required under section 619-A, of the Companies Act, 1956.

Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the

Third Annual Report of the Punjab State Industrial Development Corporation Limited for the year 1968-69, as required under section 619-A, of the Companies Act, 1956.

Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the second Annual Report of the Haryana State Industries Development Corporation Limited for the year 1968-69, as required under section 619-A, of the Companies Act, 1956.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Second Annual Report and Accounts of the Haryana Agro-Industrial Corporation Limited, for the year 1968-69, as required under section 619-A1 of the Companies Act, 1956.,

I also beg to lay on the Table a copy of the Third Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation for the period ending on 31st March, 1970, as required under section 38(3) of the State Financial Corporation Act, 1951.

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) :. Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1968-69 as required under section 75 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

I also beg to lay on the Table a copy of the Annual Statements of Account of the Haryana State Electricity Board for the year 1968-69, and the Audit Report thereon, as required under section 69 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to lay on the Table the Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1966-67 (November, 1966 to March, 1967) (Hindi Version).

Chief Minister (Shri Bansi Lai) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1968 to 31st March, 1969, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES AND THE REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE ON THE SUPPLEMENTARY ESTIMATES

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1970-71.

Chairman Estimates Committee (Shrimati Chandravati) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the, Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1970-71.

PRESENTATION OF EXCESS DEMANDS OVER GRANTS AND APPROPRIATIONS FOR THE YEARS 1966-67 AND 1967-68

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1966-67.

I also beg to present the Excess Demands over

Grants and Appropriations for the year 1967-68,

OFFICIAL RESOLUTION

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Sir, I beg to move.

That this House approves, under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of fifty crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub-section (1) of that section.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House approves, under sub-section (3) of section 65 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948), the fixation by the State Government of a higher maximum amount of fifty crores of rupees which the Haryana State Electricity Board may at any time have on loan under sub-section (1) of that section.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : अध्यक्ष महोदय यह एक तरह से बड़ी खुशी की बात है कि इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड ने प्रदेश की भलाई के लिये पैसा मांगा है क्योंकि बगैर पैसे के तो कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती । स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड तो हमारे प्रदेश की सेवा तभी कर सकता है जब उसके पास इतना पैसा हो जितनी उसको जरूरत है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां यह पैसा

जरूरी है वहां उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम यह देखें कि जो अभी तक लिमिट थी या जो हद अभी तक सदन ने मुकर्रर की हुई थी वह किस प्रकार से इस्तेमाल हो रही है या हुई है और अभी तक किस तरह से हमारे प्रदेश का बिजली बोर्ड काम चलाता रहा है । अब हमें यह देखना है कि आया अब उसके अन्दर कोई तबदीली की जरूरत है जिससे हम कम खर्चा करके और ज्यादा काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि पिछले बजट अधिवेशन में स्वर्गीय मेजर अमीर सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न पर इसी सदन में आधा घंटे की बहस भी हुई थी और उस समय सरकार ने जवाब दिया था कि पंजाब के अन्दर जो बिजली का भाव है उस से हरियाणा के अन्दर 70 फीसदी ज्यादा है । अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा डैम से जो बिजली पैदा होती है वही दोनों को यानी पंजाब और हरियाणा को मिलती है । वहां से जिन रियासतों को बिजली मिलती है चाहे वह हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है यानी जो भी रियासतें वहां हिस्सेदार हैं उन सब की दर एक है । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो कीमत हमारी स्टेट के इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को बिजली हासिल करने में देनी होती है उतनी ही पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड या राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को देनी होती है उसे कौमन ग्रिड रेट कहते हैं । इस लिये हरियाणा के अन्दर और पंजाब के अन्दर जो बिजली पहुंचती है उसका एक

सा भाव हूँ तो फिर हरियाणा के अन्दर दर के अन्दर इतना फर्क क्यों है?

बिजली का प्रसार हुआ हूँ यह खुशी की बात है । बिजली के प्रसार के बिना किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती । भगवान तो इन्सान को दो हाथ देता है परन्तु बिजली इन्सान को कई हाथ देती है ताकि वह अपना काम भली-भांति चला सके और तरक्की कर सके । बिजली का प्रसार होना बहुत जरूरी है । मैंने अखबारों में यह सूचना पढ़ी थी, पता नहीं यह सूचना सही भी हूँ या नहीं, कि बिजली के प्रसार में देश के अन्दर हमारा प्रदेश सब से आगे है । मेरा ख्याल है कि शायद उनको पूरे देश की जानकारी नहीं है । मद्रास प्रदेश के अन्दर आज से 6—7 वर्ष पहले, जबकि मैं यहां बिजली और सिंचाई विभाग का मन्त्री था, प्रत्येक गांव में बिजली दी जा चुकी थी और हमारी सरकार का तो अभी यह दावा ही है कि वह जनवरी फरवरी तक देगी । अभी तो यह भी पता नहीं कि इनकी बिजली प्रसार की योजना हरी होगी भी या नहीं, तो हम सारे प्रदेशों से आगे कैसे हो गये मैंने अपनी लाइब्रेरी से कोशिश की कि मद्रास स्टेट इलैक्टिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट हासिल कर सकूँ और आपको यह बता सकूँ कि वहां पर कितने पंपिंग सैट्स व ट्यूबवैल्ज को बिजली मिली हुई है, दुर्भाग्य से मुझे वह रिपोर्ट मिली नहीं । जहां तक मुझे अपने वक्त का ज्ञान है और सही तौर पर उस वक्त के आंकड़े याद हैं तो आज से 6—7 वर्ष पहले अकेले मद्रास प्रदेश में डेढ़-पौने दो लाख

के करीब पंपिंग सैटस व ट्यूबवैल्ज को बिजली मिली हुई थी और पंजाब, जिसमें कि आज का पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश यानी 1966 से पहले का पंजाब दूसरे नम्बर पर था और इसमें कुल 24 हजार नलकूपों को बिजली मिली हुई थी । मैं यह नहीं मान सकता कि जिस प्रदेश वो अन्दर इतना गौरव हो, वह हाथ पर हाथ धर कर बैठ जायेगा । यह तो माना जा सकता हूँ कि वहां किसी कारण से पूरी तरहकी नहीं हुई हो तो भी यहां का दावा जब कि 44 हजार नलकूपों को बिजली देने का है उसकी तथा मद्रास के आंकड़ों की तुलना करें तो हमारा प्रदेश सबसे आगे. कैसे हो गया? हमारे स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड की रिपोर्ट तथा आडिट की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गयी है और सदस्यों को भी दी जा रही है । अध्यक्ष महोदय, वहां एक नलकूप को बिजली देने का खर्चा औसतन 1200 रुपये के करीब था । पंजाब प्रदेश के अन्दर एक नलकूप को बिजली देने का खर्चा औसतन 5000 रुपये के करीब पड़ता था । यदि आज हरियाणा में एक नलकूप को बिजली देने के खर्चे का अन्दाजा लगाया जाये तो शायद यह 10,000 रुपया होगा । इसी तरह पहले के पंजाब में एक गांव को बिजली देने का एवरेज खर्चा 34 हजार रुपया आता था और लगभग साढ़े चार हजार गांवों में बिजली होती थी । जितने गांवों को बिजली मिली हुई थी, उसका एक तिहाई हिस्सा ऐसे गांवों का था जो 11 के. वी. लाईन के आधे-मील के महराव (**Radius**) में साथ-साथ थे आधे- मील के अन्दर एक 11 के. वी. लाईन के अन्दर बिजली देने का एक गांव के ऊपर कितना

खर्चा आता हूँ, यह मैंने बिजली बोर्ड से पूछा था तो उन्होंने एक गांव का औसतन 10,000 रुपया बताया । जो गांव हमने छोड़े हुए हैं वह किसी दूसरे देश या प्रदेश के हिस्से नहीं बल्कि इसी प्रदेश के गांव हूँ । उनके साथ दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है । स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड एक कामर्शियल अदारा है । इस कामर्शियल अदारे के अन्दर जो कार्यवाई होनी चाहिये वह कामर्शियल नुकते—निगाह तथा प्रदेश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिये ।

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, time is over. The House stands adjourned till 2.00 p.m. tomorrow.

6.30

(The House then adjourned till 2.00 p.m. on Wednesday) the 26 August, 1970).